<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 7/25/2022-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 11 दिसंबर 2023

अधिसूचना
अंतिम जांच परिणाम
मामला सं. एमटीआर - 10/2022

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एनीलिन" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा।

विषय सूची


| | |
|---|---|
| क. | मामले की पृष्ठभूमि |
| ख. | प्रक्रिया |
| ग | विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु |
| | घ.1 आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध |
| | घ.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध |
| | घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच |
| घ. | घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति |
| | ड1 आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध |
| | ड.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध |
| | ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच |
| ड. | गोपनीयता |

| | |
|---|---|
| | च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध |
| | च.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध |
| | च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच |
| च. | वर्तमान मध्यावधि समीक्षा का दायरा |
| | छ.1 आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध |
| | छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध |
| | छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच |
| छ. | विविध मुद्दे और अनुरोध |
| | ज.1 आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध |
| | ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध |
| | ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच |
| ज. | सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण |
| | झ.1 आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध |
| | झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध |
| | झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच |
| झ. | घरेलू उद्योग को क्षति |
| | ञ.1 मांग का आकलन |
| | ञ.2 आयात मात्राएं |
| | ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच |
| | ञ.3.1 कीमत कटौती प्रभाव |
| | ञ.3.2 कीमत ह्रास और न्यूनीकरण |
| | ञ.4 क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री |
| | ञ.5 बाजार हिस्सा |
| | ञ.6 लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ |
| | ञ.7 मालसूची |
| | ञ.9 वृद्धि |
| | ञ.10 पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता |
| | ञ.11 क्षति संबंधी निष्कर्ष |
| ञ. | क्षति मार्जिन की मात्रा |
| ट. | कारणात्मक संबंध |

| | |
|---|---|
| ठ. | **क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना** |
| | ठ.1 **आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध** |
| | **ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध** |
| | **ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच** |
| | **ठ.3.1 क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू उद्योग की कीमतों के ह्रास/न्यूनीकरण की संभावना है।** |
| | **ठ.3.3 तीसरे देश का पाटन** |
| | **ठ.3.4 तीसरे देश के क्षतिकारी निर्यात** |
| | **ठ.3.5 भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता** |
| ड. | **भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे** |
| | **ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध** |
| | **ड.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध** |
| | **ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच** |
| ढ. | **प्रकटन पश्चात टिप्पणियां** |
| ण. | **निष्कर्ष और सिफारिश** |
| त. | **आगे की प्रक्रिया** |

**फा. सं. 7/25/2022-डीजीटीआर**

**खंड-I**

**विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एनीलिन" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा।**

**फा. सं. 7/25/2022-डीजीटीआर: -** समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे एडी नियमावली या पाटनरोधी नियमावली या नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

**क. <u>पृष्ठभूमि</u>**

2. चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित एनीलीन के संबंध में एक पाटनरोधी जांच (मूल) 24 जनवरी, 2020 को शुरू की गई थी ताकि पाटन की प्रकृति और मात्रा तथा घरेलू उद्योग पर उसकी क्षतिकारी प्रभाव की जांच की जांच की जा सके। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 6/42/2019-डीजीटीआर, दिनांक 12 जून, 2021 के माध्यम से अपने प्रारंभिक जांच परिणाम में अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जिसे सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 20/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 29 जुलाई, 2020 के द्वारा लागू किया गया था।

3. तत्पश्चात निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम सं. 6/42/2019-डीजीटीआर, दिनांक 20 जनवरी, 2021 के द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम की पुष्टि की। इसके अनुपालन में वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 08/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 19 फरवरी, 2021 के माध्यम से पांच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया था। पाटनरोधी शुल्क 29 जुलाई, 2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लगाये जाने योग्य है।

4. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) को एनओसीआईएल लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें एनीलीन (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की एक मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया

है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता है। यह मध्यावधि समीक्षा आवेदन आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कच्छ केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो क्रमश: संबद्ध वस्तु के आयातक और प्रयोक्ता हैं, द्वारा समर्थित है।

5. वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच को नियमावली के नियम 23 के 1 और (1क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार शुरू किया गया था। प्राधिकारी के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से किए गए एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या परिस्थितियों में बदलाव के कारण मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को हटाना या उसमें संशोधन करना आवश्यक है।

6. प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य सहित आयातक द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के मद्देनजर और नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/25/2022-डीजीटीआर, दिनांक 12 दिसंबर, 2022 के माध्यम से एक मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की थी। इस समीक्षा जांच का कार्यक्षेत्र था कि क्या यदि लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाया या उसमें बदलाव किया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है और इसलिए शुल्क की अब आवश्यकता नहीं है।

*****

**ख. <u>प्रक्रिया</u>**

7. इस जांच के संबंध में, निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क. प्राधिकारी ने एडी नियमावली 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरुआत की कार्यवाही से पहले वर्तमान मध्यावधि समीक्षा आवेदन की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 12 दिसंबर, 2022 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार भारत में चीन के दूतावास, घरेलू उद्योग, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक / प्रयोक्ता एसोसिएशनों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति उन्हें संबद्ध जांच की शुरूआत की सूचना देने के लिए भेजी थी।

घ. प्राधिकारी ने एडी नियमावली 1995 के नियम 6(3) के अनुसार घरेलू उद्योग और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भी भेजी थी।

ङ. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से संबद्ध देश से निर्यातकों/उत्पादकों को जांच शुरूआत अधिसूचना में विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के अपने उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह देने का भी अनुरोध किया गया था।

च. प्राधिकारी ने एडी नियमावली 1995 के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थी।

छ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

| क्र. सं. | उत्पादक/निर्यातक |
|---|---|
| 1 | कॉनेल केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी |
| 2 | जिलिन सिटी कॉनेल केमिकल इंडस्ट्री प्रोडक्ट सप्लाई एंड सेल कं, लिमिटेड |
| 3 | केम्पर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड |
| 4 | वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड |
| 5. | वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड |

ज. संबद्ध देश से ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया या जांच में सहयोग नहीं किया है, को जांच में असहयोगी माना गया है।

झ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को एडी नियमावली 1995 के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए प्रश्नावलियां भी भेजी थी।

ञ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों, प्रयोक्ताओं और प्रयोक्ता एसोसिएशनों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

| क्र. सं. | आयातक और प्रयोक्ता |
|---|---|
| 1 | आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 2 | इंडस्ट्रियल सॉल्वैंट्स एंड केमिकल्स प्रा. लिमिटेड |
| 3 | कूच केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("केसीआईएल") |
| 4 | डाइस्टफ्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (डीएमएआई) |
| 5 | एनओसीआईएल लिमिटेड |

ट. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वह चोट की जांच अवधि और जांच की अवधि तथा जांच के बाद की अवधि के लिए संबंधित वस्तुओं के आयात का लेन-देन-वार ब्यौरा उपलब्ध कराए। प्राधिकरण को यह प्राप्त हो गया है और वर्तमान अंतिम निष्कर्षों में इस पर विचार किया गया है।

ठ. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक की है और वर्तमान जांच के लिए क्षति अवधि 2018-19, 2019-20, अप्रैल, 2020 से जून, 2021 और जांच की अवधि है। आवेदक और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध पर, प्राधिकारी ने इसके अलावा, वर्तमान निर्धारण के लिए जांच अवधि के बाद की अवधि के रूप में 1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 की अवधि पर विचार किया गया है।

ड. प्राधिकारी ने व्यापार सूचना सं. 01/2020, दिनांक 10 अप्रैल, 2020 के जरिए विहित ढंग से विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को

उपलब्ध रखा। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना/अनुरोध की गोपनीयता के ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता से संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने ऐसी सूचना/अनुरोध को गोपनीय माना है।

ढ. एडी नियमावली 1995 के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 16 अगस्त, 2023 को वर्चुअली हुई सार्वजनिक सुनवाई के जरिए हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध जांच के बारे में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया था। मौखिक सुनवाई में अपने विचार रखने वाले हितबद्ध पक्षकारों से खंडन अनुरोध यदि कोई हों, के साथ-साथ मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों के अगोपनीय अंश को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ शेयर करने का निदेश भी दिया गया था।

ण. क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी भी कहा गया है) को सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) और एडी नियमावली 1995 के अनुबंध III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और तर्कसंगत लाभ के आधार पर निर्धारित किया गया है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

त. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की जांच की गई है और आवश्यक समझे गए सीमा तक सत्यापित किया गया है और वर्तमान अंतिम निष्कर्षों के लिए उस पर भरोसा किया गया है।

थ. संबद्ध देश से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच और सत्यापन भी आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ उस भर भरोसा किया गया है।

द. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और सूचना पर उस सीमा तक भरोसा किया जहां तक ये साक्ष्य द्वारा समर्थित हों और वर्तमान जांच से संगत समझी जाएं।

ध. इस दस्तावेज में '***' चिन्ह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और एडी नियमावली 1995 के नियम 7 के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

न. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पीओआई (जुलाई, 2021 – जून 2022) के लिए विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 76.13 रूपये है।

*****

## ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

8. मूल जांच और वर्तमान जांच की जांच शुरूआत अधिसूचना में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे पीयूसी भी कहा गया है) निम्नानुसार है:

*"10. प्राधिकारी ने पीयूसी पर निम्नानुसार विचार किया गया:-*
*वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद "एनीलीन" है जिसे "एनीलीन ऑयल" के रूप में भी जाना जाता है। एनीलीन एक पारदर्शी, तैलीय द्रव है और एक प्राथमिक एमाइन यौगिक है। इसका रंग ताजा डिस्टिल्ड होने के समय हल्के पीले द्रव में बदल जाता है। इसका रंग प्रकाश या हवा में रखने पर गहरा हो जाता है। एनीलीन एक मूल जैविक रासायन है जो औषधीय, भेषज, डाई और डाई मध्यवर्ती वस्तु जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण उद्यमों के लिए अनिवार्य है।*
*संबद्ध उत्पादकों को कोड 29214 1 10 के अंतर्गत अध्याय शीर्ष 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।*

**घ.1 आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

9 विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में आवेदक या अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

**घ.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध**

10. विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

**घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

11. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है। प्राधिकारी ने नोट किया कि वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का दायरा मूल जांच और जांच शुरूआत अधिसूचना के समान ही रहेगा। तदनुसार, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद ''एनीलीन'' है जिसे ''एनीलीन ऑयल'' के रूप में भी जाना जाता है।

*****

**घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति**

**ड1 आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

12. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में आवेदक या अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

**ड.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध**

13. घरेलू उद्योग द्वारा निम्निलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग भारत में समान वस्तु का एक मात्र उत्पादक है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद से वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय है।

ग. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और न ही वे चीन जन. गण. में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित हैं।

**ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

14. पाटनरोधी नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

*"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।*

15. एक अन्य कंपनी आर.के. सिंथेटिक लिमिटेड ने एक पत्र प्रस्तुत किया है और दावा किया कि उसने हाल में भारत में पीयूसी का उत्पादन शुरू किया है। कंपनी ने उपायों को जारी रखने या उन्हें बढ़ाने का अनुरोध किया है। तथापि, एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत होने का कंपनी का अनुरोध बिल्कुल अंतिम स्तर पर प्राप्त हुआ था। व्यापार सूचना 11/2018, दिनांक 10 सितंबर, 2018 के पैरा 3(i) के अनुसार जहां कोई पक्षकार किसी जांच में भागीदारी का इच्छुक हो, तो उसे किसी जांच की शुरूआत के 40 दिनों या प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर हितबद्ध पक्षकार के रूप में शामिल होने के लिए प्राधिकारी को लिखित अनुरोध करना चाहिए। हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण के लिए अंतिम स्तर पर किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि यह अनुरोध समय पर प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए वर्तमान जांच के लिए इस पर विचार नहीं किया गया था। तदनुसार, उसके उत्पादन या बिक्रियों पर भी विचार नहीं किया गया है।

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएनएफसी) के पास भारत में कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। जीएनएफसी संबद्ध देश में न तो किसी उत्पादक से संबंधित हैं और न ही भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित हैं। अत: प्राधिकारी मानते हैं कि गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं।

****

## ड. <u>गोपनीयता</u>

### च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

17. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

### च.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

18. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि निर्यातकों ने निर्यात कीमत में समायोजन के लिए पूरी सूची प्रस्तुत नहीं की है।

### च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों की गोपनीयता के संबंध में एडी नियमावली के नियम 7 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:

*"गोपनीय सूचना - (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*

*(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*

*(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"*

20. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और आंकड़ों की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां आवश्यक हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को उनके द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। पक्षकारों को ई-मेल के जरिए उनके अनुरोध का अगोपनीय अंश शेयर करने का निदेश दिया गया था।

*****

## च. <u>वर्तमान मध्यावधि समीक्षा का दायरा</u>

### छ.1 आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

21. मध्यावधि समीक्षा के दायरे के बारे में आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

   क. वर्तमान मध्यावधि समीक्षा एक व्यापक समीक्षा है। प्राधिकारी द्वारा विहित मध्यावधि समीक्षा के लिए प्रश्नावली के प्रपत्र में दिए गए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पहुंच मूल्य, क्षतिरहित कीमत, घरेलू उत्पादन की प्रवृत्ति, घरेलू उत्पादक (कों) या निर्यातक (कों) की कानूनी स्थिति में परिवर्तन,

घरेलू उद्योग / उत्पादकों की स्थिति में परिवर्तन या किसी अन्य संगत स्थिति में परिवर्तन जैसे एक या एक से अधिक मानदंडों में ऐसे परिवर्तन जिससे पाटन, क्षति या कारणात्मक संबंध के मापदंडों पर प्रभाव पड़ सकता हो, मध्यावधि समीक्षा आवेदन के आधार हो सकते हैं।

ख. ऋषिरूप पॉलिमर प्रा. लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2006 (196) ईएलटी 385 (एससी) में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी मध्यावधि समीक्षा का तब समर्थन करता है जब सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षतिरहित कीमत और घरेलू उद्योग को क्षति जैसे विभिन्न मापदंडा में कोई परिवर्तन हुआ हो।

ग. शुल्क लागू होने के बाद से परिस्थितियों में बदलाव हुआ है और यह परिवर्तन स्थायी प्रकृति के हैं। ये परिवर्तन हैं, (क) संबद्ध वस्तु की आयात कीमत में वृद्धि (ख) मूल कच्ची सामग्री अर्थात बेंजीन और संबद्ध वस्तु के फैलाव में वृद्धि (ग) घरेलू उद्योग को क्षति का अभाव ।

घ. प्राधिकारी से यह सत्यापन करने का अनुरोध है कि क्या सांद्रित नाइट्रिक एसिड और प्राकृतिक गैस की कीमतों में बेंजीन के साथ-साथ वृद्धि होने से एनीलीन की उत्पादन लागत पर इतनी मात्रा में प्रभाव पड़ा है कि उससे भारत में एनीलीन की कीमत में परिवर्तन हुआ है।

ड. प्राधिकारी से यह जांच करने का अनुरोध है कि क्या सांद्रित नाइट्रिक एसिड और प्राकृतिक गैस की कीमतों में परिवर्तन भी स्थायी प्रकृति की परिस्थतियों में परिवर्तन माना जाता है।

च. अनुमानित क्षति मार्जिन ऋणात्मक है। घरेलू उद्योग की कीमत क्षतिरहित कीमत से अधिक है।

छ. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है जो शुल्क हटाने को आवश्यक बनाता है।

ज. संबद्ध वस्तु की मांग - आपूर्ति में अंतर है। प्रयोक्ता उद्योग उच्च कीमत पर आयात करने को बाध्य है।

झ. इस फैलाव में जांच अवधि के बाद से जुलाई, 2022 – दिसंबर, 2022 में 586 यूएस डॉलर/एमटी और जनवरी, 2023 से जून, 2023 में 619 यूएस डॉलर/एमटी की भारी वृद्धि हुई है।

ञ. बेंजीन विचाराधीन उत्पादन के निर्माण में लागत में सर्वाधिक योगदान देता है और बेंजीन की कीमतों के साथ कीमत में उतार-चढ़ाव की तुलना करना बिल्कुल सही है।

**छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

22. मध्यावधि समीक्षा के दायरे के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. परिस्थितियों में बदलाव की स्थायी प्रकृति को शुल्क को समय से पहले हटाने के लिए सिद्ध किया जाना चाहिए।

ख. आवेदक द्वारा दावा किया गया कोई भी आधार मध्यावधि समीक्षा में शुल्क हटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह सिद्ध नहीं करता है कि ये परिस्थितियां जिनमें शुल्क लगाया गया था इतनी अधिक बदल गई हैं और ऐसा परिवर्तन इतना स्थायी प्रकृति का है कि शुल्क को समय से पहले हटाना आवश्यक है।

ग. आयात कीमत में वृद्धि का अर्थ पाटन का अभाव नहीं है। पाटन न केवल जारी रहा है बल्कि और तेज हो गया है। आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम पर भारतीय बाजार में प्रवेश करना जारी रखे हैं।

घ. बेंजीन और एनीलीन की लागत के बीच फैलाव पाटन या क्षति का एक सांकेतक नहीं है। एनीलीन और बेंजीन के बीच फैलाव काफी अस्थिर रहता है। अक्टूबर, 2021 में यह फैलाव ऋणात्मक भी हो गया था। यह दर्शाता है कि एनीलीन की कीमतें बेंजीन की कीमतों द्वारा चालित नहीं होती हैं।

ङ. बेंजीन एनीलीन की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक मात्र कारक नहीं है। एनीलीन की लागत में बेंजीन का हिस्सा 50 प्रतिशत से कम है। अन्य कच्ची

सामग्रियां जैसे सीएनए, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन भी एनीलीन की उत्पादन लागत में प्रमुख घटक हैं।

च. सभी कच्ची सामग्रियों की कीमतों में क्षति अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है। वास्तव में बेंजीन की कीमत वृद्धि अन्य कच्ची सामग्रियों की कीमत वृद्धि से काफी कम है। अत: बेंजीन की कीमत पर आधारित कोई निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है।

छ. शुल्क लागू होने के कारण कुछ आर्थिक मानदंडों में मामूली सुधार का अर्थ यह नहीं है कि शुल्क को समय से पहले हटा दिया जाए। विशेष रूप से तब जबकि पाटन तेज हो गया है। कल्याणी स्टील लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी दिनांक 02.08.2006 के मामले में माननीय सेस्टेट के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

ज. मध्यावधि समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने कि न केवल पाटन और क्षति के जारी रहने पर अनुमति है बल्कि इसकी अनुमति पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति के मामलों में भी है। यूएस *डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी सेमीकंडक्टर (डीआरएएमएस)* (1999) के मामले में डब्ल्यूटीओ की पैनल की रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है।

झ. ऋषिरूप पॉलिमर प्रा. लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2006 (196) ईएलटी 385 (एससी) में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मध्यावधि समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क हटाने के लिए यह अनिवार्य है कि पाटन और क्षति मौजूद नहीं हो और उनकी संभावना नहीं होगी। आवेदक संभावना की अनुपस्थिति उठाने के लिए कोई सामग्री या साक्ष्य देने में विफल रहा है।

ञ. मांग आपूर्ति में अंतर शुल्क लागू होने के समय मौजूद था। यह ऐसी नीति परिस्थिति नहीं है जो शुल्क लगने के बाद आई है। यह तर्क शुल्क हटाने का आधार नहीं हो सकता है। वास्तव में यह आधार मूल जांच में पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए भी अपर्याप्त है।

ट. मूल जांच की जांच अवधि में एनीलीन और बेंजीन के बीच फैलाव 316 यूएस डॉलर / एमटी था। जब प्राधिकारी ने इन कीमतों को पाटित पाया था। उस डेल्टा के

परिणामस्वरूप क्षति मार्जिन 121 यूएस डॉलर था और वर्तमान डेल्टा अमेरिकी डॉलर 131 तक उससे अधिक है। अब फैलाव लागू पाटनरोधी शुल्क के केवल बराबर है।

**छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मध्यावधि समीक्षा का दायरा मूल जांच और निर्णायक समीक्षाओं से अलग होता है। मध्यावधि समीक्षा में प्राधिकारी के लिए अपनी स्वयं की पहल पर या ऐसे किसी हितबद्ध पक्षकार जो ऐसी समीक्षा की जरूरत को सिद्ध करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, के अनुरोध पर जहां आवश्यक हो, निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू होने से तर्कसंगत समयावधि बीत जाने के बाद लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत की जांच और निर्धारण करना आवश्यक है। इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या यदि लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाया या उसमें बदलाव किया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है। यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क अब आवश्यक नहीं है तो प्राधिकारी केंद्र सरकार से उसे हटाने की सिफारिश करेंगे। प्रश्न यह है कि क्या शुल्क को उसकी सामान्य अवधि के पांच वर्ष की अवधि से पहले हटाया जाना चाहिए।

24. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 4,4डायमिनो स्टिलबेने2, 2 डाइसल्फ़ोनिक एसिड" (डीएएसडीए) में मध्यावधि समीक्षा दिनांक 26 सितंबर, 2016 के दायरे के संबंध में पूर्व में निम्नानुसार नोट किया है:

*''निर्णायक समीक्षा और मध्यावधि समीक्षा से संबंधित नियमों की भाषा जानबूझकर अलग-अलग रखी गई है ताकि <u>शुल्क हटाने की जरूरत निर्धारित करने में सावधानी</u> पर अधिक जोर दिया जा सके। एडी नियमावली के नियम 23 (1क) में संभावना ''नहीं'' शब्द पर जोर देना पाटनरोधी शुल्क को समय पूर्व हटाने की जांच करते समय के उच्चतर और कड़े दायित्व को दर्शाता है''।*

25. आवेदक के लिए ऐसी सीमा तक परिस्थितियों में बदलाव को सिद्ध करना अपेक्षित है जिसके आधार पर शुल्क लगाया गया था और उनमें इतना अधिक बदलाव हो गया है कि यदि लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाया या बदला जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है। आवेदक और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए

गए अनुरोधों के आलोक में प्राधिकारी ने पाटन, क्षति, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और इस स्तर पर तथा पांच वर्ष की सामान्य अवधि से पहले लागू शुल्क को हटाए जाने पर क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना सहित समस्त मापदंडों की जांच की है।

26. किसी भी पक्षकार ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि परिस्थितियों में बदलाव मध्यावधि समीक्षा में शुल्क को हटाना आवश्यक बनाने वाला स्थायी प्रकृति का होना चाहिए। प्राधिकारी ने जांच अवधि और जांच के बाद की अवधि में सभी मापदंडों सहित क्षति अवधि के दौरान परिस्थितियों में बदलाव के लिए आंकड़ों पर विचार किया है। केवल जांच अवधि के दौरान ही घरेलू उद्योग का निष्पादन इस निष्कर्ष के लिए अपर्याप्त है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को हटाया जा सकता है।

27. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दलील दी गई है कि बेंजीन और विचाराधीन उत्पाद के बीच फैलाव में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग तथा निर्यातक उच्च कीमतें वसूल रहे हैं। घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि केवल बेंजीन विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रमुख इनपुट नहीं है। घरेलू उद्योग ने ऐसी संगत सूचना प्रस्तुत की है जो एनीलीन के उत्पादन में शामिल अनेक इनपुट को दर्शाते हैं। नीचे तालिका में उनका सारांश दिया गया है:-

| क्र. सं. | विवरण | यूओएम | कीमत | मानक | पीओआई के लिए उत्पादन की लागत का अलग-अलग ब्यौरा | उत्पादन लागत में हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **नाइट्रोबेंजीन** | | | | | | |
| 1 | बेंजीन | रू./एमटी | *** | *** | *** | 55-65% |
| 2 | सीएनए | रू./एमटी | *** | *** | *** | 30-40% |
| 3 | प्राकृतिक गैस | रू./एमटी | *** | *** | *** | 0-10% |
| 4 | अन्य परिवर्तन लागत | रू./एमटी | | | *** | 0-10% |
| 5 | उत्पादन की कुल लागत | रू./एमटी | | | *** | 100% |
| **एनीलीन** | | | | | | |
| 1 | नाइट्रोबेंजीन | रू./एमटी | | *** | *** | 75-85% |
| 2 | हाइड्रोजन | रू./एमटी | | *** | *** | 20-30% |
| 3 | अन्य परिवर्तन लागत | रू./एमटी | | | *** | 5-15% |
| 4 | उत्पादन की कुल | रू./एमटी | | | *** | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लागत | | | | | |

28. यह देखा गया है कि बेंजीन की लागत एनीलीन की उत्पादन लागत केवल *** प्रतिशत है। एनीलीन के उत्पादन के लिए आवश्यक अन्य कच्ची सामग्री, नाइट्रिक एसिड, प्राकृतिक गैस और हाईड्रोजन आदि हैं। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना से यह देखा गया है कि इन अन्य कच्ची सामग्रियों की कीमतों में भी पूर्ववर्ती जांच की तुलना में वृद्धि हुई है। नीचे दी गई तालिका संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए अपेक्षित इन अन्य कच्ची सामग्रियों की कीमतें दर्शाती है।

| क्र. सं. | विवरण | पिछली जांच की पीओआई | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल'20-जून'21 | पीओआई | पीओआई पश्चात |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बेंजीन | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| | वृद्धि | | 100 | 90 | 82 | 140 | 141 |
| 2 | नाइट्रिक एसिड | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| | वृद्धि | | 100 | 79 | 89 | 184 | 195 |
| 3 | प्राकृतिक गैस | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| | वृद्धि | | 100 | 75 | 68 | 261 | 249 |
| 4 | हाइड्रोजन | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| | वृद्धि | | 100 | 73 | 65 | 262 | 275 |
| 5 | एनिलीन आयात कीमत | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| | वृद्धि | | 100 | 76 | 94 | 158 | 149 |

*यूओएम - रू./एमटी*

29. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि एनीलीन के उत्पादन के लिए जरूरी अनेक इनपुट्स की कीमतों में क्षति अवधि में काफी वृद्धि हुई और जांच अवधि में तथा उसके बाद जांच के बाद की अवधि में अधिक तेजी से वृद्धि हुई । प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने गलत ढंग से बेंजीन को एक मात्र कच्ची सामग्री बताया है और वर्तमान समीक्षा की मांग

की है। प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के बाद और घरेलू उद्योग से उत्तर की प्राप्ति होने पर यह पाया कि अन्य कच्ची सामग्रियां भी मौजूद हैं और ये एनीलीन की कुल उत्पादन लागत का एक बड़ा हिस्सा बनती है। इसके अलावा, और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि न केवल बेंजीन की कीमतें बल्कि एनीलीन के उत्पादन में शामिल अन्य इनपुट की कीमत में मूल जांच की जांच अवधि की तुलना में वर्तमान पीओआई में भारी वृद्धि हुई है। यह भी देखा गया है कि यद्यपि एनीलीन की आयात कीमत में पीओआई में वृद्धि हुई है । परंतु पीओआई के बाद इसमें गिरावट आई है।

30. यह नोट किया जाता है कि एनीलीन की कीमत में वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, यद्यपि बेंजीन एक मात्र कच्ची सामग्री नहीं है और अन्य कच्ची सामग्रियां भी है जिनकी कीमत में वृद्धि हुई है, तथापि फिर भी यह देखा गया है कि बेंजीन और एनीलीन की कीमत के बीच अंतर में पीओआई के दौरान वृद्धि हुई है। इस प्रकार वर्तमान जांच शुरू करना उचित था। प्राधिकारी मानते हैं कि केवल एनीलीन की कीमत और बेंजीन की कीमत के बीच तुलना इस निष्कर्ष के लिए पर्याप्त नहीं है कि क्या आवेदक द्वारा अभिज्ञात परिस्थितियों में परिवर्तन पाटनरोधी शुल्क को हटाने को न्यायोचित ठहराने के लिए स्थायी प्रकृति का है। तथापि, इसे यह पता लगाने के लिए मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू करने का पर्याप्त आधार माना गया था कि क्या वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को हटाये जाने या परिवर्तित करने पर घरेलू उद्योग को क्षति होने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है और क्या पाटनरोधी शुल्क की आवश्यकता नहीं है।

31. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में पाटन की मात्रा, घरेलू उद्योग के निष्पादन और घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना की जांच की है और यह पता लगाया है कि क्या परिस्थितियों में बदलाव इतना स्थायी प्रकृति का है कि वह पाटनरोधी शुल्क को हटाने को न्यायोचित ठहराता है। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने या उसमें बदलाव से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है।

32. घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि जुलाई, 2021 से जून, 2022 की वर्तमान जांच की अवधि यह निर्धारित करने के लिए उचित नहीं है कि क्या परिस्थितियों में पाटनरोधी शुल्क को हटाना उचित ठहराने वाले बदलाव हुए हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा कथित जांच अवधि उच्च माल भाड़ा लागत द्वारा प्रभावित हुई थी और इसलिए एनीलीन और कच्ची सामग्री की कीमतें प्रभावित हुई थी। अत: घरेलू

उद्योग ने जांच अवधि के बाद जांच करने का अनुरोध किया है। आवेदक ने यह भी बताया है कि एनीलीन की कीमत और बेंजीन की कीमत के बीच का डेल्टा जांच की अवधि के बाद ही अधिक बना रहा है। आवेदकों ने यह भी बताया है कि जांच की अवधि के बाद के दौरान चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य अधिक था और घरेलू उद्योग भी संबद्ध वस्तु के लिए अत्यधिक कीमतें वसूल रहा था। अत: प्राधिकारी ने जांच अवधि के बाद ही विभिन्न मानदंडों के संदर्भ में जांच करने का निर्णय लिया है।

*****

## छ. <u>विविध मुद्दे और अनुरोध</u>

### ज.1 आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

33. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन के विनिर्माता और घरेलू उद्योग मिले हुए हैं और अपने हितों के अनुसार बाजार बना रहे हैं। ऐसा मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की आड़ में हो रहा है।

ख. अत्यधिक लाभ के बावजूद घरेलू उद्योग ने एनीलीन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के संबंध में कोई योजना कार्यान्वित नहीं की है।

ग. घरेलू उद्योग जांच के बाद की अवधि में सीएनए और नाइट्रो बेंजीन की बिक्री करने में अधिक रुचि ले रहा है न कि उन्हें एनीलीन में बदलने में।

घ. घरेलू उद्योग सीएनए का एक विनिर्माता है जिसे नाइट्रो बेंजीन के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रो बेंजीन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घरेलू उद्योग के प्रचालन को प्रभावित नहीं करती हैं और इसलिए घरेलू उद्योग के निष्पादन को उसकी स्वयं की लागत के आधार पर देखा जाना चाहिए।

ड. आवेदन में दावे डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों और जीएनएफसी द्वारा बनाये गये बिक्री बीजकों पर आधारित है।

च. डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुसार शुल्क केवल घरेलू उद्योग द्वारा उठायी जा रही क्षति की सीमा तक ही लागू रह सकता है। यदि घरेलू उद्योग को क्षति अब नहीं हो रही है तो शुल्क को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए।

छ. कोरिया से अमेरिका - पाटनरोधी शुल्क (डीआरएएमएस) के मामले में डब्ल्यूटीओ की पैनल की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक पर यह सिद्ध करने का दायित्व नहीं है कि शुल्क हटाये जाने पर क्षति होने की "संभावना नहीं" है।

ज. आवेदक पर यह दर्शाने का ऐसा कोई दायित्व नहीं है कि शुल्क को हटाना आवश्यक है। आवेदक को यह सिद्ध करना चाहिए कि मूल जांच के बाद से परिस्थितियों में बदलाव हुआ है जिसे वर्तमान एमटीआर के आवेदक ने विधिवत रूप से किया है।

**ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

34. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिसकी वजह से घरेलू उद्योग ऐसे निर्यातकों के साथ मिलकर कार्य करेगा जो घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा छीनने के लिए अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं में शामिल हैं।

ख. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक लाभ नहीं कमाया है। संबद्ध आयातों के प्रतिकूल कीमत प्रभाव से यह उद्योग नये निवेशों के लिए अलाभकारी हो गया है।

ग. कोई भी घरेलू उत्पादक अपनी उत्पादन सुविधाओं के हिस्से को अप्रयुक्त नहीं रखेगा और मध्यवर्ती स्तर पर अपने उत्पाद नहीं बेचेगा। यद्यपि प्रत्येक उत्पाद एक अलग उत्पाद है और घरेलू उद्योग के पास या तो एनीलीन का उत्पादन करने या सीएनए अथवा नाइट्रो बेंजीन की बिक्री करने का विकल्प है। तथापि, संगत कारक यह है कि घरेलू उद्योग ने एनीलीन का उत्पादन क्यों नहीं किया और उन सुविधाओं को क्यों बेकार रहने दिया। ऐसा केवल इसलिए है कि सीएनए और नाइट्रो बेंजीन से एनीलीन का उत्पादन इन्हें बाजार में बेचने की तुलना व्यवहार्य नहीं है।

घ. आवेदक ने परिवर्तित परिस्थितियों के दावों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं।

**ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

35. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों किए गए अनुरोधों को नोट किया है और वर्तमान निर्धारण में उन पर पर्याप्त रूप से विचार किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए विभिन्न तर्कों के संबंध में निम्नानुसार मानते हैं।

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि विदेशी उत्पादक और घरेलू उद्योग मिलकर काम कर रहे हैं। संबद्ध देश से विदेशी उत्पादकों की निर्यात कीमत में पीओआई में वृद्धि हुई है जबकि पीओआई की बाद की अवधि में गिरावट आई है।

37. कच्ची सामग्री के मूल्य निर्धारण में घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई पद्धति के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए बही खातों और रिकार्डों के अनुसार आबद्ध कच्ची सामग्री की कीमत पर विचार करते हैं।

38. इस तथ्य के संबंध में कि मांग - आपूर्ति में भारी अंतर के बावजूद भारत में कोई क्षमता वृद्धि नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग और आपूर्ति में अंतर का मुद्दा उपायों के लागू होने के समय भी मौजूद था। अत: केवल मांग और आपूर्ति में अंतर की मौजूदगी शुल्क रद्द करने को न्यायोचित नहीं ठहराती है। भारत में कोई भी कंपनी किसी भी उत्पाद के उत्पादन के लिए क्षमता स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, विभिन्न उत्पादों की सापेक्ष व्यवहार्यता ही व्यापारिक उद्यमों के निवेश संबंधी निर्णयों के लिए संगत है। यदि पिछले अनेक वर्षों से देश में किसी उत्पाद में कोई निवेश नहीं हुआ है तो यह बात देश में नये निवेश की व्यवहार्यता के अभाव को दर्शाती है और व्यापारिक उद्यम के लिए समान अवसर की प्रतिस्पर्धा देने को उचित ठहराती है।

39. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां व्यापार उद्यम के पास बाजार में किसी उत्पाद को बेचने या उसकी आबद्ध रूप से खपत करने का विकल्प मौजूद हो और व्यापार उद्यम उसे आबद्ध रूप से खपत करने के बजाय बाजार में इनपुट को बेचने का निर्णय लेता है तो यह बात निर्णय की सापेक्ष व्यवहार्यता को दर्शाती है। इससे कम से कम

यह पता चलता है कि बाजार में ऐसे इनपुट का उत्पादन और बिक्री डाउनस्ट्रीम उत्पाद में उसकी खपत की तुलना अधिक लाभकारी है।

40. यह स्पष्ट किया गया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच उसकी लागत पर नाइट्रो बेंजीन पर विचार करते हुए की गई है।

*****

## ज. <u>सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

### झ.1 आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

41. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. कॉनेल केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को शुल्क की अलग दर प्रदान की जानी चाहिए।

ख. वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों से संबंधित सभी बिक्री श्रृंखलाओं की सूचना दी है।

ग. वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड संबद्ध वस्तु के आयात में शामिल नहीं है और इसलिए उसने उत्तर नहीं दिया है।

घ. पाइपलाइन खर्चों के समायोजन के तर्क के संबंध में मूल जांच में भी यह समायोजन किया गया था। अत: ऐसे किसी समायोजन की कोई जरूरत नहीं है।

ड. सामान्य मूल्य को नियमावली के नियम 7 के अनुबंध । के अनुसार और विभिन्न क्रमबद्ध विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

### झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

42. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. वानहुआ ग्रुप ने यह बताया है कि उसे अंतरदेशीय भाड़ा नहीं देना पड़ता है क्योंकि यह उत्पाद वानहुआ केमिकल ग्रुप के स्वामित्व वाले डॉक पर पाइपलाइन द्वारा जलयान में सीधे भेजा जाता है। स्थापना, चलाने, रखरखाव पर हुए खर्च और लाभ को निर्यात कीमत से समायोजित किया जाना चाहिए क्योंकि ये निर्यातों से ये सीधे संबंधित है।

ख. कॉनेल केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और उसके संबंधित निर्यातकों ने मूल जांच में भागीदारी नहीं की थी।

ग. जिलिन सिटी के लिए केम्पर को उसकी बिक्री संबंधी ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित है। परंतु वह परिशिष्ट 3ख में कोई उत्तर देने में विफल रहा है। जिलिन सिटी द्वारा केम्पर को उसकी बिक्री के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

घ. जिलिन सिटी ने भारत को सीधे निर्यात किया है परंतु भारत को अपने सीधे निर्यातों के लिए उसने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। उत्पादक ने केवल यह उत्तर दिया है कि *"यह प्रश्न लागू नहीं है"*, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

ड. कॉनेल केमिकल भारत को किए गए निर्यातों के एक बड़े हिस्से के लिए पूरी निर्यात श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा है। उत्पादक ने एक बिल्कुल अधूरा उत्तर प्रस्तुत किया है और इसलिए उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

च. मूल जांच में वानहुआ केमिकल (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड ने एक निर्यातक/व्यापारी के रूप में भागीदारी की। परंतु वर्तमान जांच में उसने कोई उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी से यह सत्यापित करने का अनुरोध है कि क्या वानहुआ केमिकल (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्यात किए गए हैं।

## झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

### सामान्य मूल्य

43. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम* (6) *के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:*

*(क) उपधारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यात करने वाले देश या क्षेत्र या उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात किए जाने पर समान वस्तु का तुलनीय प्रतिनिधि मूल्य; या मूल देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत के साथ-साथ प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों के लिए उचित वृद्धि, और मुनाफे के लिए, जैसा कि उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है;*

*(ख) परन्तु मूल देश के अलावा किसी अन्य देश से वस्तु के आयात के मामले में और जहां वस्तु को केवल निर्यात के देश के माध्यम से स्थानांतरित किया गया है या निर्यात के देश में ऐसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया गया है या निर्यात के देश में कोई तुलनीय मूल्य नहीं है, सामान्य मूल्य मूल देश में इसके मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।*

*परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।*

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु से निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

क. कॉनेल केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी

ख. जिलिन सिटी कॉनेल केमिकल इंडस्ट्री प्रोडक्ट कप्लाई एंड सेल कं, लिमिटेड

ग. केम्पर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

घ. वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड

ड. वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड

**चीन के उत्पादकों के लिए बाज़ार अर्थव्यवस्था का दर्जा**

45. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था हैः *"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :*

*(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः*

*(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।*

*(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।*

*(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।*

*(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।*

*(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"*

*यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं। तथापि, एक्सेशन प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण.*

*से प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने विहित ढंग और तीरके से प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इसलिए सामान्य मूल्य परिकलन नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।*

46. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं। तथापि, एक्सेशन प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंडों को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।

47. चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने अपने स्वयं के आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है। इसलिए सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है जिसका पाठ निम्नानुसार है:-

*'' 7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देकते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।*

*8. (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के*

*रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"*

*(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षे के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू .टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।*

*(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है ; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में ; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है ; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते है; तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते है।*

*(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश*

*द्वारा पाटनरोधी जॉच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो”*

48. पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कम निर्धारित किया गया है और यह व्यवस्था है कि सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा या जहां ऐसा संभव नहीं हो, वहां समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत जिसे यदि आवश्यक हो, तो तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समयोजित किया गया हो, के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य को अनुबंध I के अंतर्गत प्रदत्त विभिन्न क्रमबद्ध विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना अपेक्षित है।

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो आवेदक या न ही अन्य हितबद्ध पक्षकार ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत, निर्यात या परिकलित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण को संभव बनाने के लिए कोई सूचना या साक्ष्य दिया है। मूल जांच में सामान्य मूल्य को भारत में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने हेतु उसे विधिवत रूप से समायोजित करके सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया था। अत: वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने भारत में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

**<u>निर्यात कीमत</u>**

**वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड**

50. यह नोट किया गया है कि मैसर्स वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक और उसने जांच अवधि के दौरान भारत में संबंधित और असंबंधित व्यापारियों के जरिए संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

51. मैसर्स वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने अपनी संबंधित कंपनी वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड को *** एमटी की आपूर्ति की है। इसने बाद में केम्पर एनर्जी पीटीई लिमिटेड के जरिए भारत को इस समूची मात्रा का निर्यात किया है। पत्तन और अन्य

संबंधित व्यय, बैंक प्रभार और ऋण व्यय के लिए समायोजनों की अनुमति देने के बाद पीओआई के दौरान भारित औसत कारखानाद्वार निर्यात कीमत और भारित औसत पहुंच मूल्य क्रमश: *** यूएस डॉलर/एमटी और *** यूएस डॉलर/एमटी के रूप में परिकलित किया गया है।

**कॉनेल केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी**

52. यह नोट किया गया है कि कॉनेल केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक और उसने जांच अवधि के दौरान भारत में संबंधित और असंबंधित व्यापारियों के जरिए उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

53. कॉनेल केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ने केम्पर एनर्जी पीटीई लि० के जरिए भारत को *** एमटी और अपनी मेसर्स जिलिन सिटी कॉनेल केमिकल इंडस्ट्री प्रोडक्ट सप्लाई एंड सेल कंपनी लिमिटेड के जरिए *** एमटी संबद्ध वस्तु की आपूर्ति की है। पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बैंक प्रभार और ऋण व्यय के लिए समायोजनों की अनुमति देने के बाद पीओआई के दौरान भारित औसत कारखानाद्वार निर्यात कीमत और भारित औसत पहुंच मूल्य क्रमश: *** यूएस डॉलर/एमटी और *** यूएस डॉलर/एमटी के रूप में परिकलित किया गया है।

**उत्तर नहीं देने वाले उत्पादक**

54. चीन जन. गण. से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर परिकलित की गई है। इस प्रकार विचारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

**<u>पाटन मार्जिन</u>**

55. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन को निम्नानुसार परिकलित किया गया है:

| क्र.सं. | उत्पादक | सामान्य मूल्य | निवल निर्यात | पाटन मार्जिन | पाटन मार्जिन | पाटन मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | (डॉलर/एमटी) | कीमत (डॉलर/एमटी) | (डॉलर/एमटी) | (%) | (रेंज) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड** | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| 2. | **कॉनेल केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी** | *** | *** | *** | *** | 30-40 |
| 3 | **अवशिष्ट** | *** | *** | *** | *** | 50-60 |

56. वर्तमान जांच में परिकलित पाटन मार्जिन न केवल निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक भी है। यह देखा गया है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का पाटन जारी है।

*****

## झ. <u>घरेलू उद्योग को क्षति</u>

### ञ.1 आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

57. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है और प्रयोक्ताओं को आयात करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

ख. आयात मात्राओं में मांग आपूर्ति अंतर के कारण वृद्धि हुई है। प्रयोक्ता आयात के लिए बाध्य है।

ग. घरेलू उद्योग की अप्रैल, 2019 से जून, 2022 तक मासिक कारखाना द्वार कीमत संबंधी आंकड़ों के अनुसार वह संबद्ध वस्तु के लिए अत्यधिक कीमतें वसूल रहा है।

घ. घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 26,886 एमटी से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 34,000 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 39,662 एमटी की वृद्धि हुई है।

ड. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 76% से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 97% और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 113% (100% से अधिक) की वृद्धि हुई है।

च. घरेलू उद्योग के औद्योगिक उत्पादों की समग्र बिक्री वित्तीय वर्ष 2021-22 में वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 83 प्रतिशत अधिक है।

छ. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं करना एक जानबूझकर लिया गया निर्णय है। घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में खपत के बजाय घरेलू बाजार में आबद्ध उत्पादन की बिक्री करना पसंद किया है।

ज. संबद्ध देश का बाजार हिस्सा मांग आपूर्ति में अंतर के कारण अधिक है।

झ. घरेलू उद्योग देश में मांग को पूरा नहीं कर सकता है इसलिए उसका बाजार हिस्सा कम है।

ञ. घरेलू उद्योग पिछले दो वर्षों में काफी अधिक लाभ कमा रहा है।

ट. कच्ची सामग्री, बेंजीन और एनीलीन की कीमतों की बीच डेल्टा में जबरदस्त वृद्धि हुई है।

ठ. प्राधिकारी से यह सत्यापन करने का अनुरोध है कि क्या सीएनए और प्राकृतिक गैस की कीमतों में एनीलीन की उत्पादन लागत पर इतना अधिक प्रभाव डाला है कि वह भारत में एनीलीन की कीमतों को आगे बढ़ा रही है।

ड. उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा सहित प्रमुख वृद्धि मापदंडों के लिए घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट में काफी सुधार दर्शाया गया है।

ढ. वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच है और प्राधिकारी ने कीमत में अस्थिरता के बावजूद मूल जांच में मासिक मूल्यांकन नहीं किया था। अत: कीमत कटौती का मासिक मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं है।

ण. घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार यह विश्लेषण करने का मूल आधार है कि क्या शुल्क जारी रखना आवश्यक है। काफी अधिक सुधार यह दर्शाने वाला सांकेतक है कि शुल्क ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और उसे आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समीक्षा में घरेलू उद्योग पिछले दो वर्षों से काफी अधिक लाभ में रहा है।

त. यूएस डीआरएएमएस पर भरोसा निराधार और त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यूएस डीआरएएमएस में मुद्दा कभी भी परिवर्तित परिस्थितियों की समस्या या एमटीआर से संबंधित नहीं था, बल्कि वह यूएसडीओसी द्वारा संचालित प्रशासनिक समीक्षा थी।

थ. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति अनुमानित क्षतिरहित कीमत से काफी अधिक रही है, केवल यही बात क्षति और क्षति की संभावना को समाप्त करती है।

**ञ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

58. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ख. पाटनरोधी शुल्क लगाने के बावजूद आयातों में जांच अवधि और जांच के बाद की अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है।

ग. आयातों में वृद्धि देश में मांग - आपूर्ति में अंतर से अधिक रही है।

घ. आयातों से भारी कटौती प्रभाव पड़ा है। आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही है।

ड. आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी कम कीमत पर हुए हैं। तथापि, पाटनरोधी शुल्क से यह सुनिश्चित हुआ कि उनसे जांच अवधि में कीमतों पर प्रभाव न पड़े।

च. जांच के बाद की अवधि में यद्यपि लागत और पहुंच कीमत में वृद्धि हुई है, परंतु पहुंच कीमत में वृद्धि लागत में वृद्धि के क्रम में नहीं थी। अत: आवेदक अपनी कीमतों में अनुपातिक रूप से वृद्धि नहीं कर सका।

छ. आयातों ने पहले ही जांच के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों में न्यूनीकरण किया है। यदि शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो घरेलू उद्योग पर ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव में और अधिक वृद्धि होगी।

ज. घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि के लिए बाध्य होना पड़ा है, क्योंकि उत्पादन लागत में काफी अधिक वृद्धि हो गई है और आवेदक द्वारा अत्यधिक कीमत वसूल जाने संबंधी तर्क निराधार है।

झ. घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में पाटनरोधी शुल्क लागू होने के प्रभाव के कारण 2019-20 की तुलना में सुधार हुआ है।

ञ. इन मापदंडों में सुधार स्थायी प्रकृति का नहीं था, क्योंकि संबद्ध देश से पाटन तीव्र हो गया है और संबद्ध आयातों में भी जांच के बाद की अवधि में समग्र रूप से वृद्धि हुई है।

ट. घरेलू उद्योग अप्रयुक्त क्षमताओं के साथ प्रचालन कर रहा है।

ठ. घरेलू उद्योग के उत्पादन में जांच के बाद की अवधि में भारी गिरावट आई है।

ड. यह तर्क कि घरेलू उद्योग सीएनए की बिक्री में अधिक रुचि लेता है। स्वयं उठाई जा रही क्षति को सिद्ध करता है। यद्यपि प्रत्येक उत्पाद अलग उत्पाद होता है और घरेलू उद्योग के पास या तो एनीलीन का उत्पादन करने या इन उत्पादों की बिक्री करने का विकल्प है। तथापि, संगत कारक यह है कि घरेलू उद्योग ने एनीलीन का उत्पादन क्यों नहीं किया है और इन सुविधाओं को अप्रयुक्त क्यों रखा है। सीएनए

और नाइट्रो बेंजीन से एनीलीन का उत्पादन बाजार में इन्हें बेचने की तुलना में व्यवहार नहीं है।

ढ. पाटित आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

ण. पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कब्जा लिया है। घरेलू उद्योग के पास उसकी क्षमता की मात्रा में भी बाजार हिस्सा नहीं है और ऐसा पाटन के परिणामस्वरूप हुआ है।

त. घरेलू उद्योग की अधिक लाभप्रदता स्थायी प्रकृति की नहीं है। लाभप्रदता में जांच अवधि की तुलना में जांच के बाद की अवधि में लगभग 250 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आई है।

थ. घरेलू उद्योग द्वारा भारी लाभ कमाने के तर्क के संबंध में आवेदक ने ऐसे विवरण देने के लिए वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निष्पादन पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है और वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निष्पादन एक संगत मापदंड नहीं है।

द. पाटित वस्तुओं के प्रतिकूल प्रभाव ने उद्योग की दीर्घकालिक लाभप्रदता को कम कर दिया है।

ध. निष्पादन में सुधार पाटनरोधी शुल्क के कारण हुआ है और यह उपायों को हटाने के लिए एक संगत कारक नहीं है।

न. जांच अवधि तक वृद्धि संबंधी मानदंडों में सुधार के लिए शुल्क लागू होने को जिम्मेदार माना जा सकता है। तथापि, यह सुधार स्थायी प्रकृति का नहीं है, क्योंकि जांच के बाद की अवधि में वृद्धि संबंधी मानदंडों में तेजी से गिरावट देखी गई है।

प. अल्पकालिक लाभप्रदता के आधार पर पूंजी निवेश नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से तब जब कि मध्यम से दीर्घकालिक लाभप्रदता इतनी अधिक प्रतिकूल हो।

फ. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित वर्तमान आय किसी नये निवेश को न्यायोचित नहीं ठहराती है।

ब. कच्ची सामग्री और विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में जांच अवधि के दौरान काफी उतार-चढ़ाव आया है। अत: मासिक रूप से कीमत कटौती, क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन के निर्धारण की आवश्कता है।

भ. जहां तक कि एक महीने के भीतर विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में काफी अधिक बदलाव आया है। कीमतों में उक्त अंतर पर विचार करते हुए प्राधिकारी से सौदावार कीमत कटौती की जांच करने का अनुरोध किया जाता है।

**ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

59. अनुबंध-।। के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में यह उपबंध है की कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ... "ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा प्रर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

60. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लेख है: *"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"*

61. वर्तमान जांच अवधि में निष्पादन के अलावा, प्राधिकारी ने इस बात की जांच करने के लिए कि क्या जांच अवधि की बाद की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में परिवर्तित परिस्थितियां स्थायी प्रकृति की जांच की है। अत: प्राधिकारी ने जांच के बाद की अवधि में क्षति संबंधी मापदंडों पर विचार किया है।

**ञ.1 मांग का आकलन**

62. संबद्ध वस्तु के मांग के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:

| **विवरण** | **यूनिट** | **2018-19** | **2019-20** | **अप्रैल'20-जून'21(क)** | **पीओआई** | **पीओआई पश्चात** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| घरेलू उद्योग की बिक्री | एमटी | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 80 | 89 | 112 | 56 |
| संबद्ध देश से आयात | एमटी | 65,601 | 83,401 | 56,002 | 63,867 | 74,708 |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 127 | 85 | 97 | 114 |
| अन्य देशों से आयात | एमटी | 17,187 | 6,025 | 12,820 | 20,488 | 27,868 |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 35 | 75 | 119 | 162 |
| कुल मांग | एमटी | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 100 | 85 | 105 | 104 |

63. यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तु की मांग में जून 2021 तक गिरावट आई है, परंतु जांच अवधि में वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच पश्चात की अवधि में मामूली गिरावट आई है।

**ञ.2 आयात मात्राएं**

64. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आायातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा और क्षति जांच अवधि के दौरान उसका हिस्सा निम्नानुसार है:

| विवरण | यूनिट | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल'20-जून'21(क) | पीओआई | पीओआई पश्चात |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चीन से आयात | एमटी | 65,601 | 83,401 | 56,002 | 63,867 | 74,708 |
| **निम्न के संबंध में संबद्ध आयात** | | | | | | |
| कुल आयात | % | 79% | 93% | 81% | 76% | 73% |
| भारतीय उत्पादन | % | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 179 | 100 | 100 | 220 |
| भारतीय मांग | % | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 127 | 100 | 93 | 110 |

65. यह देखा गया है कि आयातों में 2019-20 में अप्रैल, 20 से जून 21 तक मांग में गिरावट आई है, पाटनरोधी शुल्क लगने के बाद संबद्ध देश से आयातों में गिरावट आई है। तथापि, चूंकि जांच अवधि में मांग में वृद्धि हुई है इसलिए चीन और अन्य स्रोतों से आयात और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। जांच के बाद की अवधि में यद्यपि चीन के आयातों में भारी वृद्धि हुई है, अन्य देशों के आयात में भी वृद्धि हुई है (यद्यपि चीन से कम), तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री में भारी गिरावट आई है।

66. उत्पादन और खपत की दृष्टि से चीन के आयातों में भी अप्रैल 20 से जून 21 की अवधि में पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद गिरावट आई है। तथापि, चूंकि आयातों में जांच अवधि और जांच अवधि के बाद वृद्धि हुई है। इसलिए उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। आवेदक ने दलील दी है कि आयात मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण आवश्यक थे। तथापि, यह देखा गया है कि आयातों में वृद्धि देश में मांग और आपूर्ति अंतर से अधिक है। यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में भारी गिरावट आई है।

**ञ.3 कीमत प्रभाव**

67. संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि को हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री

प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

### ञ.3.1 कीमत कटौती प्रभाव

68. पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है।

| विवरण | यूनिट | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल'20-जून'21(क) | पीओआई | पीओआई पश्चात |
|---|---|---|---|---|---|---|
| निवल बिक्री प्राप्ति | रु./एमटी | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 78 | 109 | 162 | 165 |
| पहुंच कीमत | रु./एमटी | 94,431 | 71,542 | 89,183 | 1,48,776 | 1,40,840 |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 76 | 94 | 158 | 149 |
| कीमत कटौती | रु./एमटी | *** | *** | *** | *** | *** |
| कीमत कटौती | % | *** | *** | *** | *** | *** |
| कीमत कटौती | रेंज | 0-10% | 0-10% | 10-20% | 0-10% | 10-20% |

69. यह नोट किया जाता है कि कीमत कटौती सकारात्मक है।

### ञ.3.2 कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

70. यह आकलन करने के लिए कि क्या संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में न्यूनीकरण कर रहे हैं या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में भारी कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती । प्राधिकारी ने क्षति अवधि और जांच अवधि के बाद की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री कीमत के साथ आयातों की पहुंच कीमत की तुलना की है। नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

| विवरण | यूनिट | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल'20-जून'21(क) | पीओआई | पीओआई पश्चात |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बिक्रियों की लागत | रु./एमटी | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 90 | 84 | 153 | 177 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री कीमत | रु./एमटी | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 78 | 109 | 162 | 165 |
| पहुंच कीमत | रु./एमटी | 94,431 | 71,542 | 89,183 | 1,48,776 | 1,40,840 |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 76 | 94 | 158 | 149 |
| पहुंच कीमत (एडीडी सहित) | रु./एमटी | 97,044 | 74,186 | 91,955 | 1,51,585 | 1,43,650 |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 76 | 95 | 156 | 148 |

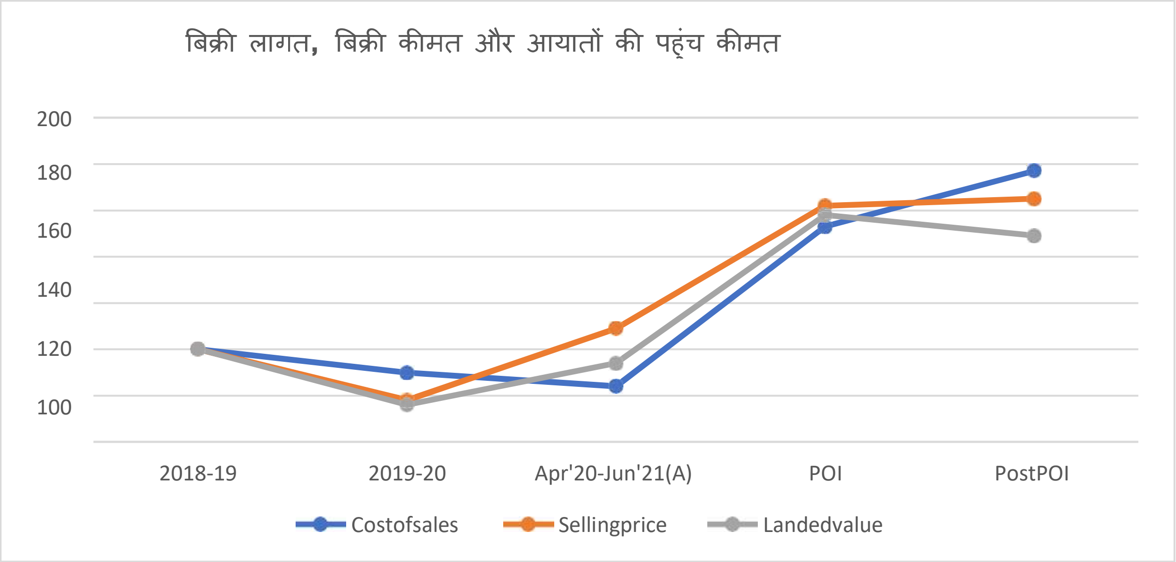


71. यह नोट किया गया है कि 2019-20 में आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम थी। घरेलू उद्योग को इस अवधि में घाटा उठाना पड़ाना और प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की। बिक्री लागत में अप्रैल 20 से जून 21 में गिरावट आई परंतु आयातों की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई। जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत तथा आयात कीमत में वृद्धि हुई। तथापि, जांच पश्चात की अवधि में बिक्री लागत में वृद्धि देखी गई

है। तथापि, आयातों की पहुंच कीमत में बिक्री लागत में वृद्धि की राशि के बराबर वृद्धि नहीं हुई ।

72. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से भागीदारी उत्पादकों को जांच के बाद की अवधि में भारत को उनके निर्यातों के संबंध में सूचना देने के लिए कहा था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कॉनेल केमिकल इंडस्ट्री लायबिलिटी कंपनी लि० ने जांच की अवधि में भारत को निर्यात नहीं किया है। वानहुआ केमिकल द्वारा प्रदत्त सूचना से यह देखा गया है कि वानुहुआ केमिकल की आयात कीमत में जांच अवधि के बाद गिरावट आई है। पहुंच कीमत में गिरावट लगभग *** डॉलर प्रति एमटी से *** डॉलर प्रति एमटी तक हुई है।

**घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड**

**ञ.4 क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री**

73. निम्नांकित तालिका क्षमता, उत्पादन और बिक्री मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन को दर्शाती है।

| विवरण | यूनिट | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल'20-जून'21(क) | पीओआई | पीओआई पश्चात |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्षमता | एमटी | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| उत्पादन | एमटी | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 71 | 86 | 98 | 52 |
| क्षमता उपयोग | % | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 71 | 86 | 98 | 52 |
| घरेलू बिक्रियां | एमटी | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 80 | 89 | 112 | 56 |

74. यह नोट किया गया है कि:

क. घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता पूरी क्षति अवधि और क्षति के बाद की अवधि में स्थिर बनी रही है।

ख. उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में भी यही रुझान है। उत्पादन क्षमता उपयोग में 2019-20 में गिरावट आई थी जब घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई।

ग. शुल्क लागू होने के साथ उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में जांच अवधि तक वृद्धि हुई। जांच पश्चात की अवधि में उत्पादन में तेजी से गिरावट आई है।

75. यह दलील दी गई है कि घरेलू उद्योग एनीलीन के उत्पादन में प्रयोग करने के बजाय नाइट्रिक एसिड को बेचना पसंद करता है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को जानते हैं कि एनीलीन का उत्पादन बाजार में नाइट्रिक एसिड की बिक्री करने की तुलना में कम व्यवहार्य है। जांच के बाद की अवधि में आयात कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम थी और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तेजी से गिरावट आई।

**ञ.5 बाजार हिस्सा**

76. आयातों तथा घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

| विवरण | यूनिट | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल'20-जून'21(क) | पीओआई | पीओआई पश्चात |
|---|---|---|---|---|---|---|
| घरेलू उद्योग | % | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 80 | 105 | 107 | 54 |
| चीन जन. गण. | % | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 127 | 100 | 93 | 110 |
| अन्य देश | % | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 35 | 88 | 114 | 156 |

77. यह नोट किया गया है कि चीन के बाजार हिस्से में 2019-20 में वृद्धि हुई थी जिससे पाटनरोधी शुल्क लागू हुआ । तत्पश्चात इसमें जांच अवधि तक पाटनरोधी शुल्क लागू होने से गिरावट आई। जांच के बाद की अवधि में संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में पुन:

पर्याप्त वृद्धि हुई। चीन के आयातों ने तथापि, भारतीय बाजार में अधिकांश हिस्सा कब्जा रखा है।

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग के कम से कम एक तिहाई हिस्से को पूरा करने की क्षमता है। घरेलू उद्योग यह दलील देता है कि चीन के उत्पादकों द्वारा पाटन में उसके बाजार हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। पाटनरोधी शुल्क लगने से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई और चीन के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

**ञ.6 लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ**

79. यह तालिका घरेलू उद्योग के वित्तीय मानदंड दर्शाती है।

| विवरण | यूनिट | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल'20-जून'21(क) | पीओआई | पीओआई पश्चात |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बिक्रियों की लागत | रु./एमटी | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 90 | 84 | 153 | 177 |
| बिक्री कीमत (घरेलू) | रु./एमटी | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 78 | 109 | 162 | 165 |
| प्रति यूनिट लाभ | रु./एमटी | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | -81 | 444 | 281 | 15 |
| कुल लाभ/(हानि) | रु. लाख | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | -65 | 397 | 314 | 8 |
| नकद लाभ | रु. लाख | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | -61 | 391 | 311 | 12 |
| ब्याज पूर्व लाभ | रु. लाख | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | -64 | 400 | 314 | 9 |
| आरओसीई | % | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | -81 | 145 | 86 | 7 |

80. यह नोट किया गया है कि:

क. 2020-21 में शुल्क लगने से पहले घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हो रहा था। नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ और नियोजित पूंजी पर आय भी इस अवधि में ऋणात्मक थे।

ख. शुल्क लागू होने के बाद नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ और नियोजित पूंजी पर आय सहित घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भी सुधार हुआ।

ग. जांच अवधि के दौरान लाभप्रदता मापदंडों में गिरावट आई है।

घ. पीओआई के बाद के दौरान लाभप्रदता मानदंडों में भारी गिरावट आई।

81. प्राधिकारी को बिक्री लागत में वृद्धि के कारणों की जानकारी है। यह देखा गया है कि एनीलीन के उत्पादन के लिए अपेक्षित अनेक इनपुट्स की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। प्राकृतिक गैस, बेंजीन, नाइट्रिक एसिड और बेंजीन की कीमतों में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। जैसा नीचे तालिका से देखा जाता है।

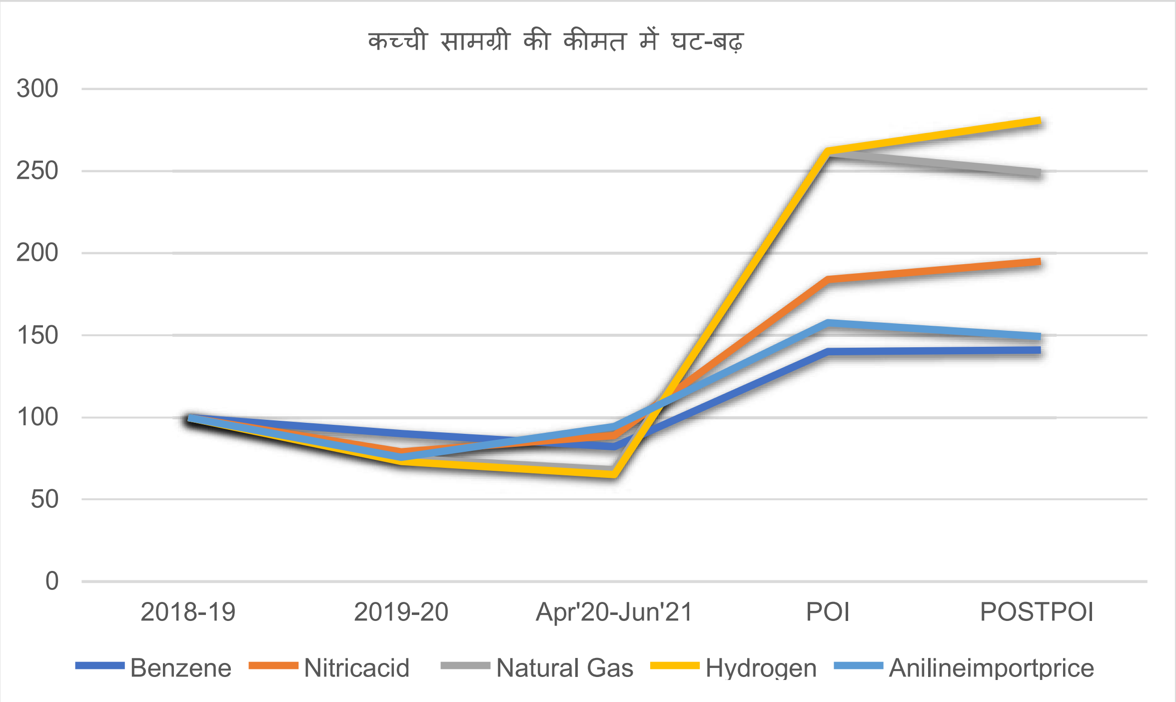


| विवरण | यूओएम | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल'20 - जून'21 | पीओआई | पीओआई पश्चात |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बेंजीन | रु./एमटी | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | | 100 | 90 | 82 | 140 | 141 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नाइट्रिक एसिड | रु./एमटी | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | | 100 | 79 | 89 | 184 | 195 |
| प्राकृतिक गैस | रु./एमटी | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | | 100 | 75 | 68 | 261 | 249 |
| हाइड्रोजन | रु./एमटी | *** | *** | *** | *** | *** |
| वृद्धि | | 100 | 73 | 65 | 262 | 281 |
| एनीलीन आयात कीमत | रु./एमटी | *** | *** | *** | *** | *** |

**ञ.7 <u>मालसूची</u>**

82. घरेलू उद्योग की मालसूची संबंधी सूचना नीचे दी गई है।

| विवरण | यूनिट | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल'20-जून'21(क) | पीओआई | पीओआई पश्चात |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मालसूची | एमटी | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 147 | 148 | 129 | 69 |

83. यह नोट किया गया है कि मालसूची में 2018-19 से पीओआई तक वृद्धि हुई है। जांच के बाद की अवधि में मालसूची में भारी गिरावट आई है।

**ञ.8 <u>रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता</u>**

84. इन मानदंडों संबंधी सूचना नीचे दी गई है।

| विवरण | यूनिट | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल'20-जून'21(क) | पीओआई | पीओआई पश्चात |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कर्मचारियों की संख्या | संख्या | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 72 | 81 | 104 | 104 |
| वेतन - मजदूरी | रु. लाख | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 92 | 87 | 92 | 144 |
| उत्पादकता प्रति दिन | एमटी/दिन | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 71 | 86 | 98 | 52 |

85. यह देखा गया है कि रोजगार की स्थिति में पीओआई में सुधार हुआ है और वह पीओआई के बाद भी समान स्तर पर रही है। मजदूरी में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई के बाद के दौरान वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की प्रति दिन उत्पादकता में 2019-20 और अप्रैल 20 - जून 21 की अवधि की तुलना में सुधार हुआ है। परंतु पीओआई के बाद गिरावट आई है।

## ञ.9 <u>वृद्धि</u>

86. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय की दृष्टि से वृद्धि नीचे तालिका में दी गई है।

| विवरण | यूनिट | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल'20-जून'21(क) | पीओआई | पीओआई पश्चात |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्पादन | वाई/वाई | - | -29% | 21% | 14% | -47% |
| घरेलू बिक्री | वाई/वाई | - | -20% | 12% | 25% | -50% |
| क्षमता उपयोग | वाई/वाई | - | -29% | 21% | 14% | -47% |
| औसत मालसूची | वाई/वाई | - | 47% | 1% | -13% | -47% |
| बाजार हिस्सा | वाई/वाई | - | -20% | 31% | 1% | -50% |
| प्रति यूनिट लाभ/(हानि) | वाई/वाई | - | -181% | 648% | -37% | -95% |
| नकद लाभ | वाई/वाई | - | -161% | 742% | -21% | -96% |
| पीबीआईटी | वाई/वाई | - | -164% | 876% | -37% | -97% |
| आरओसीईई | वाई/वाई | - | -179% | 283% | -40% | -92% |

87. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि 2019-20 में नकारात्मक थी। पाटनरोधी शुल्क लागू होने से घरेलू उद्योग विभिन्न मापदंडों में पर्याप्त वृद्धि दर्ज करने में समर्थ हुआ था। तथापि, विभिन्न मात्रा और कीमत मानदंडों में वृद्धि जांच के बाद की अवधि में में एक बार फिर ऋणात्मक हो गई ।

## ञ.10 पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

88. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय में पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद सुधार हुआ था। तथापि दो मानदंडों में पीओआई में गिरावट आई और पीओआई के बाद की अवधि में तेजी से गिरावट आई है।

**ञ.11 <u>क्षति संबंधी निष्कर्ष</u>**

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद सुधार हुआ था। घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में उत्पादन, घरेलू बिक्री और लाभप्रदता में वृद्धि देखी थी। तथापि, जांच अवधि के बाद निष्पादन में भारी बदलाव हुआ है। घरेलू उद्योग को उत्पादन, घरेलू बिक्री और लाभप्रदता में गिरावट झेलनी पड़ी है। यद्यपि बिक्री लागत में जांच के बाद की अवधि में वृद्धि हुई । तथापि, आयात कीमत में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि की तर्ज पर अपनी कीमतें समायोजित नहीं कर पाया है क्योंकि आयातों ने उसकी कीमतों में न्यूनीकरण किया है। चीन से पाटित आयात में जांच के बाद की अवधि में वृद्धि हुई है और आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि से अधिक है। आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग ने घरेलू बिक्रियों में गिरावट देखी है और उसे उत्पादन घटाने को बाध्य होना पड़ा है। अत: प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि यद्यपि जांच अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। तथापि, चीन से पाटित आयातों में वृद्धि के कारण उसे जांच की बाद की अवधि में क्षति उठानी पड़ी है।

*****

**ञ. क्षति मार्जिन की मात्रा**

90. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर और सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। क्षतिरहित कीमत को घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया है।

91. पहुंच कीमत तथा ऊपर यथा निर्धारित क्षतिरहित कीमत के आधार पर प्राधिकारी द्वारा यथा विचारित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रस्तावित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है।

| उत्पादक का नाम | एनआईपी | पहुंच कीमत | क्षति मार्जिन | क्षति मार्जिन | क्षति मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|
| | यूएसडी/एमटी | यूएसडी/एमटी | यूएसडी/एमटी | % | रेंज |
| कॉनेल केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी | *** | *** | *** | *** | 0-10% |
| वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड | *** | *** | *** | *** | (0-10%) |
| अन्य | *** | *** | *** | *** | 10-20% |

**ट. <u>कारणात्मक संबंध</u>**

92. नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों से इतर किसी ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो या क्षति होने की संभावना हो ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य के साथ-साथ शामिल हैं, पाटित आयातों पर नहीं बेचे गये आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता। नीचे यह जांच की गई है कि क्या नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

**क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत**

93. यह नोट किया गया है कि जांच अवधि और जांच के बाद की अवधि में आयात संयुक्त राज्य अमेरिका, बेज्यिम, नीदरलैण्ड से न्यूनतम सीमाओं से अधिक थे। अन्य देशों से आयात कीमत पीओआई में कम रही थी और घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई। तथापि, पीओआई के बाद संबद्ध देश से आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और अन्य देशों से आयात कीमत की तुलना में कमतर रही थी।

**ख. मांग में संकुचन और/या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन**

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की मांग में 2019-20 में गिरावट के बाद भारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की क्षमता मांग से कम थी और इसलिए मांग में संभावित गिरावट क्षति का कारण नहीं हो सकती है।

**ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं**

95. किसी हितबद्ध पक्षकार ने किसी ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

**घ. प्रौद्योगिकी में विकास**

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

**ड. निर्यात निष्पादन**

97. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के क्षति आंकड़ों पर अलग से विचार किया है।

**च. अन्य उत्पादकों का निष्पादन**

98. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तु के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है।

*****

**ठ. <u>क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना</u>**

**ठ.1 आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध**

99. संभावना के संबंध में आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्निलखित अनुरोध किए गए हैं:

क. नियम 23(1क) को लगाते समय पाटन की मौजूदगी का तब कोई महत्व नहीं होता है यदि उक्त पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने या बदले जाने पर घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना न हो।

ख. वानहुआ द्वारा किया गया क्षमता विस्तार काफी उन्नत स्तर पर है और इसमें पर्याप्त समय लगने की संभावना है।

ग. वानहुआ द्वारा क्षमता विस्तार ऐसे उत्पादक द्वारा शुरू किया गया है जो भारत को निर्यात नहीं करता है।

घ. घरेलू उद्योग की कीमतें जांच अवधि के बाद भी अधिक बनी रही हैं जो क्षति की कोई संभावना नहीं दर्शाता है।

## ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

100. संभावना के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आयातों में समग्र और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है और पाटन में तेजी आई है। यह शुल्क के समाप्त होने पर पाटन के जारी रहने की स्पष्ट संभावना दर्शाता है।

ख. चीन के उत्पादक अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं और यदि शुल्क समाप्त होता है तो वे भारतीय बाजार की ओर रुख करेंगे। वानहुआ द्वारा क्षमता विस्तार भारत में मांग का 225 प्रतिशत है।

ग. तीसरे देशों को निर्यात पाटित और क्षतिकारी कीमत पर हुए हैं। चूंकि भारतीय बाजार बेहतर कीमत दिलाता है इसलिए प्रबल संभावना है कि निर्यातों को भारतीय बाजार में भेजा जाएगा।

घ. आयात कीमत घरेलू उद्योग की लागत से कम है जो दर्शाता है कि शुल्क समाप्त होने पर इस बात की संभावना है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा।

ड. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं दी गई है कि क्षति की कोई संभावना नहीं है।

**ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

101. ऋषिरूप पॉलिमर प्रा. लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय और अपर सचिव (2006 4 एससीसी 303) ने निम्नानुसार माना है:

*"35. अन्यथा भी, हमारी यह राय है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समीक्षा जांच इस बात से संतुष्ट होने तक सीमित है कि क्या उन्हें प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसे शुल्क को जारी रखना न्यायसंगत है। अपनी मूल प्रकृति के अनुसार समीक्षा जांच यह देखने तक सीमित होगी कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने के समय मौजूद स्थितियां इस हद तक बदल गई हैं कि शुल्क को आगे जारी रखना न्यायोचित नहीं है। जांच सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षतिरहित कीमत का निर्धारण और घरेलू उद्योग को क्षति जैसे विभिन्न मानदंडों में बदलाव तक सीमित है। उक्त जांच को विभिन्न मानदंडों में बदलाव के संबंध में प्राप्त सूचना तक सीमित रहना होगा। समीक्षा जांच का संपूर्ण प्रयोजन यह देखना नहीं है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लागू करने की जरूरत है, बल्कि यह देखना है कि क्या उसे जारी रखने के अभाव में पाटन में वृद्धि होगी और घरेलू उद्योग को क्षति होगी।*

102. किसी निर्णायक समीक्षा जिसमें प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क का समय बढ़ाना आवश्यक है, से अलग मध्यावधि समीक्षा में प्राधिकारी को यह विचार करना और निर्धारित करना होता है कि क्या समय से पहले पाटनरोधी शुल्क को हटाने का कोई पर्याप्त औचित्य है। अत: प्राधिकारी ने संभावना विश्लेषण तथा यह निर्धारण शुरू किया है कि समय से पूर्व पाटनरोधी शुल्क को हटाने से घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

**ठ.3.1 क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू उद्योग की कीमतों के ह्रास/न्यूनीकरण की संभावना है।**

103. संगत सूचना नीचे दी गई है।

| विवरण | यूनिट | 2018-19 | 2019-20 | अप्रैल'20-जून'21(क) | पीओआई | पीओआई पश्चात |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बिक्रियों की लागत | रु./एमटी | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 90 | 84 | 153 | 177 |
| बिक्री कीमत | रु./एमटी | *** | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 78 | 109 | 162 | 165 |
| पहुंच कीमत | रु./एमटी | 94,431 | 71,542 | 89,183 | 1,48,776 | 1,40,840 |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 76 | 94 | 158 | 149 |

104. यह नोट किया गया है कि 2019-20 में आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम की घरेलू उद्योग को इस अवधि में घाटा उठाना पड़ा और प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी। अप्रैल, 2020 से जून, 2021 में बिक्री लागत में गिरावट आई परंतु आयातों की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई। जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत तथा आयात कीमत में वृद्धि हुई। तथापि, जांच के बाद की अवधि में बिक्री लागत में वृद्धि हुई परंतु आयात कीमत में गिरावट आई।

**ठ.3.2 पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन**

105. यह नोट किया गया है कि पीओआई में पाटन मार्जिन में वृद्धि हुई है। यह भी देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत पीओआई के बाद से घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम बनी हुई है।

**ठ.3.3 तीसरे देश का पाटन**

106. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार जानकारी नीचे दी गई है।

| तीसरे देशों को निर्यात | यूओएम | वानहुआ (केवल असंबंधित पक्षकारों को निर्यात पर विचार किया गया) | कॉनेल | उत्तर के अनुसार कुल |
|---|---|---|---|---|
| गैर-पाटित | एमटी | *** | *** | *** |
| पाटित | एमटी | *** | *** | *** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| कुल | एमटी | *** | *** | *** |
| पाटित निर्यात | % | 70-80% | 75-85% | 75-85% |

107. यह देखा गया है कि तीसरे देशों को वानहुआ केमिकल से निर्यातों का 70-80 प्रतिशत और कॉनेल से निर्यातों का 71-85 प्रतिशत पाटित कीमतों पर हुआ था। केवल ये तीसरे देशों को पाटित आयात भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग का XX प्रतिशत है।

**ठ.3.4 तीसरे देश के क्षतिकारी निर्यात**

108. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार जानकारी नीचे दी गई है।

| तीसरे देशों को निर्यात | यूओएम | वानहुआ (केवल असंबंधित पक्षकारों को निर्यात पर विचार किया गया) | कॉनेल | उत्तर के अनुसार कुल |
|---|---|---|---|---|
| क्षतिरहित | एमटी | *** | *** | *** |
| क्षतिकारी | एमटी | *** | *** | *** |
| कुल | एमटी | *** | *** | *** |
| क्षतिकारी निर्यात | % | 35-45% | 20-30% | 20-30% |

109. यह देखा गया है कि वानहुआ केमिकल से 35-45% निर्यात और कॉनेल से तीसरे देशों को 20-30% निर्यात गैर-हानिकारक कीमतों से नीचे थे।

**ठ.3.5 भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता**

110. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार जानकारी नीचे दी गई है।

| तीसरे देशों को निर्यात | यूओएम | वानहुआ (केवल असंबंधित पक्षकारों को निर्यात पर विचार किया गया) | कॉनेल | उत्तर के अनुसार कुल |
|---|---|---|---|---|
| भारत में कीमत से अधिक | एमटी | *** | *** | *** |
| भारत में कीमत से कम | एमटी | *** | *** | *** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| कुल | एमटी | *** | *** | *** |
| कीमत आकर्षकता | % | 80-90%% | 0-10% | 0-10% |

111. यह देखा गया है कि वानहुआ केमिकल से 80-90% निर्यात और कॉनेल से तीसरे देशों को 0-10% निर्यात भारत में निर्यात कीमतों से नीचे थे।

*****

## ड. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

### ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

112. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दों के संबंध में आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग 120000-130000 एमटी के बीच है। परंतु एक मात्र भारतीय उत्पादक पास उपलब्ध क्षमता केवल लगभग 35000 एमटी से 40000 एमटी है।

ख. प्रयोक्ताओं को मांग - आपूर्ति में इतने अधिक अंतर के बावजूद पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करने को बाध्य होना पड़ा है और निर्यातकों तथा घरेलू उद्योग द्वारा अधिक कीमत वसूली जा रही हे।

ग. विचाराधीन उत्पाद प्रयोक्ताओं की कच्ची सामग्री की लागत का लगभग 15-25 प्रतिशत है और परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद की कीमत में वृद्धि ने प्रयोक्ताओं पर भारी दबाव डाल दिया है।

घ. भागीदारी प्रयोक्तओं की लाभप्रदता में 100 से 72 सूचीबद्ध बिंदुओं की गिरावट आई है। प्रयोक्ता उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय ऋणात्मक है।

ड. प्रभाव को प्रयोक्ताओं द्वारा दायर उत्तर में दिए गए जवाब के आधार पर मात्रा में व्यक्त करना चाहिए।

### ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

113. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद केवल एक मात्र ऐसा कारक नहीं है जो आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादित उत्पाद की लागत को प्रभावित करता है। विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा उनके द्वारा उत्पादित आमीनो डाई फिनाइलामाइन, सोडियम केप्टो बेंजोथियाजोल, बेंजोथियाजोल और ट्राइमिथाइल डिहाइड्रोक्वीनोलीन के प्रति किलोग्राम का 0.5 केजी है।

ख. आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादित उत्पाद की कीमतों में भी पाटनरोधी शुल्क लगने के बाद तेजी से वृद्धि हुई है। जैसे नीचे देखा जा सकता है।

| क्र. सं. | उत्पाद का नाम | माना गया एचएस कोड | कीमत- रु./एमटी | | कीमत में वृद्धि | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019-20 | 2022-23 | रु./एमटी | % |
| 1 | 4-अमीनो डिफेनिलमाइन | 29214410 | 1,29,900 | 2,11,477 | 81,577 | 63% |
| 2 | एसिटानिलाइड | 29242910 | 71,966 | 1,39,615 | 67,649 | 94% |
| 3 | बेंज़ोथियाज़ोल | 29342000 | 2,82,980 | 5,35,823 | 2,52,843 | 89% |
| 4 | ईंधन संयोजन | 38119000 | 2,52,447 | 2,81,381 | 28,934 | 11% |
| 5 | 2,2,4-ट्राइमेथाइल डायहाइड्रोक्विनोलिन | 38123100 | 2,11,680 | 2,75,587 | 63,907 | 30% |

ग. यद्यपि पाटनरोधी शुल्क चीन के उत्पादकों द्वारा किए गए पाटन की भरपाई के लिए आवश्यक है। परंतु उनसे डाउनस्ट्रीम उद्योग को मामूली प्रभाव पड़ता है जैसा नीचे तालिका से देखा जा सकता है।

| क्र. सं. | उत्पाद का नाम | यूओएम | उत्पाद की कीमत | मानक प्रति केजी | एडीडी का प्रभाव | प्रभाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एमिनो डिफेनिलमाइन | रु./केजी | 173 | 0.5 | 1.44 | 0.83% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | सोडियम मर्केप्टो बेंज़ोथियाज़ोल | रु./के जी | 985 | 0.55 | 1.65 | 0.16% |
| 3 | बेंज़ोथियाज़ोल | रु./के जी | 525 | 0.5 | 1.5 | 0.27% |
| 4 | ट्राइमेथिल डायहाइड्रोक्विनोलिन | रु./के जी | 400 | 0.53 | 1.59 | 0.38% |

घ. मांग आपूर्ति में अंतर पाटन को उचित नहीं ठहराता है। यदि देश में मांग - आपूर्ति में अंतर हो तो विदेशी उत्पादक उचित कीमत पर उत्पाद को लाकर देश में कमी को निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं।

ड. पाटनरोधी शुल्क अन्य देशों में उत्पादकों द्वारा अनुचित कीमत भेदभाव, जो भारत में उद्योग के लिए हानिकारक है, के उपचार के लिए है।

च. पाटनरोधी शुल्क उद्योग के लिए संरक्षण नहीं है, बल्कि देश में उचित बाजार प्रतिस्पर्धा लाने का एक साधन है।

छ. घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में आपूर्ति करने वाला एक मात्र उत्पादक है। भारी मात्रा में निरंतर पाटन से उत्पादन और बिक्री पूर्णत: बंद हो सकती है।

ज. विचाराधीन उत्पाद का पाटित कीमतों पर निर्यात होना जारी है। उपभोक्ताओं की व्यवहार्यता अनुचित और पाटित कीमत पर कच्ची सामग्री की पहुंच पर निर्भर नहीं रहती है।

झ. घरेलू बाजार में आपूर्ति के अन्य स्रोत प्रयोक्ता, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देशों से आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

**ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

114. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने पर उनके प्रचालनों पर संभावित प्रभावों सहित वर्तमान

जांच के संबंध में संगत सूचना देने के लिए उपभोक्ताओं हेतु एक प्रश्नावली भी विहित की है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की प्रतिस्थापनीयता, स्रोत बदलने की उपभोक्ताओं की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, ऐसे कारक जिनसे संशोधित पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप नयी स्थिति से समायोजन में तेजी या देरी होने की संभावना है, संबंधी सूचना मांगी थी।

115. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने से भारत में उत्पाद की कीमत स्तर प्रभावित हो सकती है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय लागू होने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लगने से पाटन की प्रक्रिया से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे। घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगेगी और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प उपलबध कराने में मदद मिलेगी।

116. प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में मांग - आपूर्ति में अंतर घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से उपचार मांगने से नहीं रोकता है और न ही पाटित कीमतों पर निर्यात को उचित ठहराता है। डीएसएम इडेमित्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट के निर्णय के अनुसार मांग - आपूर्ति में अंतर पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता है। विदेशी उत्पादक हमेशा अपाटित कीमतों पर उत्पाद की बिक्री द्वारा भारतीय मांग को पूरा कर सकता है। पाटनरोधी शुल्क लगने के बाद भी देश में आयात प्रतिबंधित नहीं हैं। संबद्ध देश को छोड़कर अन्य देशों से भी काफी आयात होते हैं। प्रयोक्ता इन देशों से आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

117. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली विहित की है जिसे इस जांच के सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना और आर्थिक हित प्रश्नावली में दी गई सूचना और प्रयोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार जानकारी पर विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच करने के लिए विचार किया गया है।

118. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | उत्पाद का नाम | अंतिम उत्पाद की कीमत | पाटनरोधी शुल्क का हिस्सा | प्रभाव % में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रबर केमिकल | *** | *** | >1% |
| 2 | डीएमए | *** | *** | >1% |
| 3 | डीईए | *** | *** | >1% |
| 4 | एमईए | *** | *** | >1% |

119. यह नोट किया गया है कि डाउनस्ट्रीम की उत्पाद की लागत पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव मामूली है।

**ढ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>**

**ढ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

120. प्रकटन विवरण के जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

क. यह कि कॉनेल केमिकल को उनके द्वारा परिकलित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के आधार पर शुल्क की अलग दर देने के हकदार हैं।

ख. यह अनुरोध है कि यह कहना गलत है कि प्रयोक्त उद्योग पर एडीडी का प्रभाव 1% से अधिक है। आरंभ में मूल जांच की पीओआई में एनीलीन का औसत पहुंच मूल्य 69,264 रूपये प्रति एमटी था। तथापि, वर्तमान समीक्षा की पीओआई में यह बढ़कर भारित औसत 142,885 रूपये प्रति एमटी हो गया। इसके साथ आवेदक एनीलीन की समान मात्रा के लिए दुगुनी कीमत का भुगतान कर रहा है और एनीलीन की खरीद की कुल लागत वर्तमान समीक्षा की पीओआई में तेजी से बढ़कर [***] हो गई है।

ग. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि प्राधिकरण की यह टिप्पणी कि घरेलू उद्योग के लिए पीयूसी का उत्पादन करना व्यवहार्य नहीं है, शुद्ध अनुमान है। आवेदक ने प्राधिकरण से इस पर निर्णायक निष्कर्ष देने का अनुरोध किया है कि क्या प्राधिकरण किसी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि एनिलिन का उत्पादन करना व्यवहार्य नहीं है।

घ. यह अनुरोध है कि पीओआई के बाद के लिए 12 महीने की अवधि लेना पीओआई के बाद के लिए 6 महीने की अवधि लेने की सुस्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध है और इसका कोई औचित्य नहीं बताया गया है।

ड. यह अनुरोध किया जाता है कि कच्ची सामग्री अर्थात बेंजीन, सांद्रित नाइट्रिक एसिड (सीएनए), प्राकृतिक गैस और हाइड्रोजन की कीमतों के लिए संगत स्थानों पर आंकड़ों के स्रोत नहीं बताए गए हैं।

च. यह अनुरोध किया गया है कि प्रकटन विवरण में हाइड्रोजन तथा सीएनए के लिए उल्लिखित कीमतें काफी अधिक हैं और यह कि नाइट्रोजन और सीएनए की कीमतों की वृद्धि दर प्रकटन विवरण के अनुमान के अनुसार अधिक नहीं थी। यह भी बताया गया था कि प्राकृतिक गैस की कीमतों से एनीलीन की कीमतों का कोई सीधा संबंध नहीं है।

छ. यह अनुरोध किया गया कि आयातों में वृद्धि देश में मांग और आपूर्ति के अंतर से अधिक है और यह कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्राओं में भारी गिरावट आई है। तथापि, यह अनुरोध है कि यह स्थिति बाजार में एनीलीन के विनिर्माण और आपूर्ति नहीं करने के घरेलू उद्योग के वाणिज्यिक निर्णय के कारण उत्पन्न हुई है। इसके कारण भारत में प्रयोक्ता उद्योग नुकसान उठा रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग एनीलीन की आपूर्ति नहीं करना चाहता है और प्रयोक्ताओं को चीन जन. गण. से एनीलीन के आयात के लिए एडीडी का नुकसान करना पड़ा है।

ज. वानहुआ ने बताया कि यद्यपि उसके लिए पाटन मार्जिन 10-20 प्रतिशत के बीच थे और क्षति मार्जिन (0-10 प्रतिशत) की रेंज में थे। तथापि, निर्यातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई थी।

झ. यह अनुरोध किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का कोई तीसरे देश का पाटन नहीं हुआ है।

ञ. वानहुआ ने बताया कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का कोई आधार नहीं है। प्राधिकारी ने वानहुआ के लिए ऋणात्मक मार्जिन परिकलित किया है जिससे पता चलता है कि इसका पहुंच मूल्य (एडीडी के बिना) भारत में क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) से अधिक है। चूंकि एनआईपी पहुंच मूल्य से कम है। इसलिए यह तर्क दिया गया है कि 1,48,776 रूपये प्रति एमटी की पहुंच कीमत (एडीडी के बिना) पर विचार करते हुए चीन से एनीलीन के आयातों से कोई समग्र क्षति नहीं हुई है।

ट. यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग को क्षति का अभाव है। एनीलीन उत्पादन में गिरावट घरेलू उद्योग की सांद्रित नाइटिक एसिड और नाइट्रो बेंजीन की बिक्री को वरीयता देने की रणनीति जिम्मेदार है।

ठ. यह अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना जनहित के विरुद्ध है। यह बताया गया है कि एनीलीन के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता, मूल जांच से अब तक 354 एमटी पर अपरिवर्तित रही है और संरक्षण लेने के बाद भी इसमें वृद्धि करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। भारत में एनीलीन की वार्षिक मांग 1,25,000 एमटी के स्तर पर है और कोई अन्य घरेलू विनिर्माता नहीं है। इसलिए 90,000 एमटी का मांग - आपूर्ति में काफी बड़ा अंतर है।

ड. बेंजीन, एनीलीन के निर्माण के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है और बेंजीन की कीमतों से विचाराधीन उत्पाद की कीमतें प्रभावित होंगी। प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांच में बार-बार यह पाया है कि बेंजीन एनीलीन के उत्पादन की प्रमुख कच्ची सामग्री है।

ढ. प्राकृतिक गैस की कीमत में वृद्धि का कोई खास महत्व नहीं है क्योंकि एनीलीन की उत्पादन लागत में उसका मामूली हिस्सा है।

**ढ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

121. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्रकटन विवरण को पढ़ने से यह सिद्ध होता है कि आवेदक द्वारा पाटनरोधी शुल्क को हटाने के लिए बताए गए आधार लागू पाटनरोधी शुल्क उपायों को हटाने के लिए अपर्याप्त हैं।

ख. चूंकि एक सहयोगी निर्यातक और असहयोगी निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन मौजूदा पाटनरोधी शुल्क से अधिक है इसलिए उन पक्षकारों के संबंध में नया शुल्क अनुसंशित करने की आवश्यकता है।

ग. चूंकि वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड के संबंध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन ऋणात्मक है और संभावना के आधार पर शुल्क का समय बढ़ाना आवश्यक है। इसलिए शुल्क की राशि घटाई नहीं जा सकती है।

घ. यद्यपि आर.के. सिंथेसिस लिमिटेड द्वारा किए गए अनुरोध काफी देरी से हैं। परंतु प्राधिकारी के रिकार्ड में सूचना जैसे क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्रियां और ऐसे अन्य मानदंड संगत हैं और उन्हें ''उपलब्ध तथ्य'' और नियम 6(8) द्वारा यथा अधिदेशित रूप में अपनाया जाना चाहिए।

ड. आर.के. सिंथेसिस लिमिटेड द्वारा स्थापित क्षमताओं पर विचार करते हुए उत्पाद के लिए सकल उत्पादन क्षमता 48,000 एमटी से बढ़कर 60,000 एमटी से अधिक हो गई है।

च. यद्यपि अन्य हितबद्ध पक्षकार यह कहते हैं कि घरेलू उद्योग क्षमता नहीं बढ़ा रहा है, तथापि, आर.के. सिंथेसिस लिमिटेड द्वारा प्रदत्त सूचना से यह भी पता चलता है कि कंपनी को कम कीमत पर चीन के आयातों के परिणामस्वरूप काफी नुकसान हुआ है।

छ. अन्य उत्पादक का निष्पादन यह सिद्ध करता है कि जांच के बाद की अवधि में खराब निष्पादन भी घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री की अंतरण कीमत के कारण नहीं हुआ है।

ज. एक भागीदार उत्पादक वानहुआ केमिकल ग्रुप ने 2022 में अपनी क्षमता में काफी वृद्धि की है। प्राधिकारी से चीन के उत्पादकों के क्षमता विस्तार, अप्रयुक्त क्षमताओं और निर्यातोन्मुख होने पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है।

**ढ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

122. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन प्रश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां दोहराव हैं जिनकी इस जांच परिणाम से संगत पृष्ठों पर पहले ही उपयुक्त जांच और पर्याप्त समाधाना किया गया है। प्रकटन विवरण में उठाए गए ऐसे मुद्दों जिनकी पहले जांच हुई है, की अब जांच नहीं की गई है।

123. जहां तक उपयोगकर्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के 1% से अधिक होने के तर्क का संबंध है, यह नोट किया गया है कि आवेदक ने यह नहीं दिखाया है कि एक प्रतिशत से कम का प्रभाव कैसे गलत है और वास्तविक कितना है डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर प्रभाव आवेदक ने केवल पाटनरोधी शुल्क के कारण एनिलिन की कीमत में वृद्धि के बारे में चिंता जताई है।

124. इस दलील के संबंध में कि बेंजीन और अन्य कच्ची सामग्रियों की कीमतें बढ़ाई गई हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने तर्क के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना प्राधिकारी द्वारा उसकी बहियों और रिकार्डों से सत्यापित की गई है। अत: यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है।

125. मांग और आपूर्ति में काफी अंतर के बावजूद पाटनरोधी शुल्क से प्रतिकूल प्रभाव संबंधी टिप्पणियों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग और आपूर्ति में अंतर मूल जांच के समय भी था। घरेलू उद्योग का निष्पादन जांच के बाद की अवधि में पुन: खराब हुआ है। प्राधिकारी ने यह भी पाया है कि पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता कम हो गई है।

126. इस अनुरोध के संबंध में कि एनीलीन उत्पादन में गिरावट सांद्रित नाइट्रिक एसिड और नाइट्रो बेंजीन की बिक्री को वरीयता देने की घरेलू उद्योग की रणनीति के कारण आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि बिक्री लागत में जांच के बाद की अवधि में वृद्धि हुई

है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम रहा है। घरेलू उद्योग को लाभप्रदता में भी गिरावट झेलनी पड़ी है। अत: यह तर्क कि एनीलीन उत्पादन में गिरावट के लिए सांद्रित नाइट्रिक एसिड और नाइट्रो बेंजीन की बिक्री को वरीयता देने की घरेलू उद्योग की रणनीति जिम्मेदार है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह भी नोट किया गया है कि यदि कोई उत्पादक किसी उत्पाद को आबद्ध रूप से खपत करने के बजाय घरेलू बाजार में बेचने को अधिक लाभकारी पाता है और उसके बाद डाउनस्ट्रीम उत्पाद को बेचता है तो यह अपने आप में डाउनस्ट्रीम उत्पाद के खराब निष्पादन को दर्शाता है।

127. आवेदक ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने पूर्व में पाया है कि बेंजीन, एनीलीन के विनिर्माण के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है और बेंजीन की कीमतें विचाराधीन उत्पाद की कीमतों को प्रभावित करेंगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने बेंजीन को विचाराधीन उत्पाद की कीमतों को प्रभावित करने वाले एक कारक के रूप में अभिज्ञात किया था। यद्यपि बेंजीन एक मात्र कच्ची सामग्री नहीं है। तथापि, आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना मध्यावधि समीक्षा शुरू करने के लिए पर्याप्त पाई गई थी। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर यह देखा गया था कि अन्य कच्ची सामग्रियों की कीमतें भी बढ़ी हैं। यह भी देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की लागत में बेंजीन का हिस्सा केवल 40-50 प्रतिशत के बीच है। यद्यपि बेंजीन का हिस्सा काफी अधिक है। तथापि, एक विश्लेषण है कि बेंजीन और विचाराधीन उत्पाद के बीच अंतर बढ़ गया है जो पाटनरोधी उपाय को हटाने को उचित ठहराता है, गलत होगा। यह भी बताया गया है कि प्राकृतिक गैस की कीमत में वृद्धि से घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत पर मामूली प्रभाव पड़ेगा, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए आवश्यक सभी कच्ची सामग्रियों के कीमत रुझानों की जांच की है।

128. जहां तक इस विवाद का संबंध है कि यह तथ्य कि निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य निवल विक्रय मूल्य से कम है, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, प्राधिकरण ने पाया है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग ने यह दलील नहीं दी है कि जांच की अवधि में उसे नुकसान पहुंचा है। यह जांच की पोस्ट अवधि में है कि बिक्री की लागत बढ़ गई है और लैंडेड कीमत में गिरावट आई है। इसलिए, सबमिशन को अस्वीकार कर दिया जाता है।

129. जहां तक जांच की पोस्ट अवधि के रूप में 12 महीने की अवधि के तर्क का संबंध है, घरेलू उद्योग द्वारा जांच की 12 महीने की अवधि की जानकारी अपने लिखित प्रस्तुतीकरण के

साथ साझा की गई थी। अन्य इच्छुक दलों द्वारा यह नहीं दिखाया गया है कि कैसे कम अवधि पर विचार करने को एक अलग प्रवृत्ति दिखाई गई होगी। इसलिए, सबमिशन को अस्वीकार कर दिया जाता है।

## ण. <u>निष्कर्ष और सिफारिश</u>

130. आवेदक द्वारा अनुरोध के अनुसार समीक्षा शुरू करने और संचालित करने के बाद तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों, प्रदत्त सूचना और अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों या इस जांच में अन्यथा रिकार्ड इस जांच परिणाम में अन्यथा रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए और पाटन तथा क्षति की वर्तमान और संभावित स्थिति तथा पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:

क. आयातों की पहुंच कीमत में पीओआई तक वृद्धि हुई है परंतु उसके बाद गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में पाटनरोधी उपाय लागू होने के बाद सुधार हुआ है परंतु पीओआई के बाद इसमें पुन: गिरावट आई है।

ख. बेंजीन पीयूसी के उत्पादन का एक मात्र घटक नहीं है। पीयूसी के उत्पादन में अन्य कच्ची सामग्रियों जैसे सांद्रित नाइट्रिक एसिड (सीएनए), प्राकृतिक गैस और हाइड्रोजन की भी जरूरत होती है। इन सभी कच्ची सामग्रियों की कीमतों में पीओआई और पीओआई के बाद वृद्धि हुई है। इसलिए, यह उन परिस्थितियों में बदलाव के बराबर नहीं है जो पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने की मांग करते हैं।

ग. संबद्ध वस्तु के लिए घरेलू उद्योग की कारखानाद्वार/बिक्री कीमत, क्षतिरहित कीमत से काफी अधिक होने का अर्थ यह है कि कोई वर्तमान क्षति नहीं है। फिर भी वर्तमान क्षति की केवल अनुपस्थिति का अर्थ अपने आप में क्षति की संभावना की अनुपस्थिति होना नहीं है।

घ. इस दलील के संबंध में कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपायों के लागू होने के बाद उत्पादन में वृद्धि हुई है परंतु जांच के बाद की अवधि में गिरावट आई है।

ड. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग - आपूर्ति में अंतर मूल जांच में उपायों के लागू होने के समय मौजूद था और इसलिए यह पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने की आवश्यकता वाली परिस्थितियों में बदलाव के बराबर नहीं है।

च. पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव डाउनस्ट्रीम के उद्योग की कीमतों पर मामूली है।

छ. यह तथ्य कि जांच के बाद की अवधि में जब बिक्री लागत में वृद्धि हुई, तो आयात कीमत में गिरावट आई, दर्शाता है कि परिवर्तित परिस्थितियों के रूप में डेल्टा में वृद्धि स्थायी प्रकृति की नहीं है।

ज. पाटन और क्षति की प्रवर्तित परिस्थितियां स्थायी प्रकृति की नहीं है। यदि शुल्क हटाया जाता है तो इनकी पुनरावृत्ति या तीव्र होने की संभावना है।

131. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि परिस्थितियों में परिवर्तन स्थायी प्रकृति का नहीं था और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है, यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को हटा दिया जाता है, तो घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है और संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के आयात के कारण पाटन को जारी रखने/फिर से शुरू करने/तेज करने और नुकसान होने की संभावना है। यदि शुल्कों को रद्द कर दिया जाता है, तो प्राधिकरण का मानना है कि संबंधित देश से विषय वस्तुओं के आयात के संबंध में उपाय को वापस लेना उचित नहीं होगा।

132. प्राधिकरण ने नोट किया कि यह पाया गया है कि पाटनरोधी उपायों को रद्द करने के मामले में डंपिंग और क्षति लगने की संभावना है, मूल जांच में निर्धारित समान पाटनरोधी शुल्क को बनाए रखने की आवश्यकता है। प्राधिकरण का मानना है कि वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले में उपाय की मात्रा को संशोधित करना उचित नहीं होगा। जबकि एक सहयोगी निर्यातक के संबंध में नुकसान मार्जिन नकारात्मक है, अन्य सहयोगी निर्यातक के संबंध में आयात की मात्रा कम है और उक्त निर्यातक पर लागू शुल्क की मात्रा में संशोधन के लिए अपर्याप्त है। यहां तक कि जब सहयोगी निर्यातकों में से एक के लिए क्षति मार्जिन पीओआई में नकारात्मक पाया गया था, तो यह भी देखा गया है कि परिस्थितियों में उक्त परिवर्तन स्थायी प्रकृति का नहीं था। क्षति की पुनरावृत्ति की स्पष्ट संभावना है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि एक निर्यातक के संबंध में क्षति का माजन पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा मात्रा से अधिक है, क्योंकि निर्यातक पहले

अवशिष्ट शुल्क के अधीन था, और उसके निर्यात की मात्रा कम है, इस निर्यातक के लिए व्यक्तिगत शुल्क निर्धारित करना उचित नहीं होगा। यह भी देखा गया है कि निर्यातक ने पहले नए शिपर समीक्षा के लिए आवेदन दायर किया था। तथापि, यह देखा गया है कि इसके निर्यातों के संबंध में डम्पिंग और चोट का मार्जिन वास्तव में निर्यातक द्वारा झेले गए पाटनरोधी शुल्क की मात्रा से अधिक है। प्राधिकरण की यह भी राय है कि घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में वृद्धि की आवश्यकता को स्थापित करने में सक्षम नहीं है।

133. उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण इसे आवश्यक समझता है और संबंधित देशों से उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करता है, जैसा कि 20 जनवरी, 2021 के अंतिम निष्कर्ष संख्या 6/42/2019 डीजीएडी द्वारा पूर्व में अधिसूचित किया गया था और पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में कोई संशोधन किए बिना।

## त. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

134. इस सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर, अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

**अनन्त स्वरूप**
**निर्दिष्ट प्राधिकारी**